

I |puk dk vf/kdkj vf/kfu; e] 2005

i f|yl dfeşujš/ y[kuÅA

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) बी0 के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं में पुलिस कमि"नरेट लखनऊ के पुलिस विभाग के संबंध में निम्नलिखित सूचना प्रकाशित की जाती है—

1. i f|yl cy ds l xBu dk; l rFkk drD; kš dk fooj .k&

पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 3 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन जिला पुलिस का कार्य निहित होगा, जिसके अधीन ऐसा ज़िला होगा और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जैसा प्राधिकृत हो उसके सिवाय कोई व्यक्ति, अधिकारी, या न्यायालय राज्य सरकार द्वारा किसी पुलिस कर्मचारी को अधिक्रमित या नियंत्रित करने के लिये सशक्त नहीं किया जायेगा।

पुलिस का मूल कर्तव्य कानून व्यवस्था व लोक व्यवस्था को स्थापित रखना तथा अपराध नियंत्रण व निवारण तथा जनता से प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करना है। समाज के समस्त वर्गों में सद्भाव कायम रखने हेतु आवश्यक प्रबन्ध करना, महत्वपूर्ण व्यक्तियों व संस्थानों की सुरक्षा करना तथा समस्त व्यक्तियों के जान व माल की सुरक्षा करना है। लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करना तथा अनुमति देना व सार्वजनिक सड़कों इत्यादि पर व्यवस्था बनाये रखना है।

जनपद लखनऊ में जनपद पुलिस, पुलिस आयुक्त लखनऊ के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है। अपर मुख्य सचिव, गृह पुलिस अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0-8/2020/55पी/छ:-पु-6-2020-01 विविध/2020 दिनांक 13.01.2020 के द्वारा निर्गत अधिसूचना के अनुसार पुलिस कमि"नर प्रणाली लागू की गयी है। जनपद लखनऊ में पुलिस कमि"नर के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस कमि"नर कानून एवं व्यवस्था तथा संयुक्त पुलिस कमि"नर अपराध एवं मुख्यालय, डीसीपी0-09 एडीसीपी-12 तथा 25 एसीपी के पद सृजित किये गये हैं। लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र के थाना बक्"ी का तालाब, इटौंजा, मलिहाबाद, निगोहा एवं माल को मुख्यालय पुलिस महानिदे"क उ0प्र0 लखनऊ के पत्र सं0-डी0जी0-1-28(1)2020 दिनांक-14.11.2022 के आदे"ानुसार लखनऊ ग्रामीण का विलय करके पुनर्गठन करके 52 पुलिस थानो सहित पुलिस जिला लखनऊ के रूप में किया गया है। लखनऊ कमि"नरेट को अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिकोण से क्षेत्र में नियुक्त जेसीपी/डीसीपी/एडीसीपी/एसीपी के अधिकारियों के मध्य उनके कार्यों का वितरण पुलिस कमि"नर लखनऊ द्वारा दिनांक-15.09.2022 को निम्नानुसार किया गया है—

क्र० सं०	पुलिस अधिकारी का पद नाम	पर्यवेक्षित क्षेत्र	पर्यवेक्षित किये जाने वाले कार्य
1	संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था (J.C.P. LAW & ORDER)	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> • लखनऊ में आगमन करने वाले विभिन्न <u>वीवीआईपी/बीआईपी</u> के स्वागत एवं सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित प्रोटोकॉल सेल से निर्गत किये जाने वाले समस्त आदेश-निर्देश समय से तैयार कराकर स्वयं अवलोकन करके अपने हस्ताक्षर से निर्गत करायेंगे। अपर पुलिस आयुक्त प्रोटोकॉल एव सहायक पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा इस कार्य हेतु पूर्ण सहयोग किया जायेगा। • <u>कानून-व्यवस्था/यातायात व्यवस्था</u> से सम्बन्धित समस्त सूचनायें समय से प्राप्त कर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त पुलिस बल/पीएसी बल की मांग व ड्यूटी लगाये जाने से सम्बन्धित कार्यों के अन्तर्गत पुलिस बल आवंटित करने तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के उत्तरदायी होंगे तथा बाह्य जनपदों में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए मांगे जाने वाले पुलिस बल की ड्यूटी आदि लगवाने का कार्य का पर्यवेक्षण एवं समीक्षा करेंगे। • स्थानीय अभिसूचना इकाई से प्रतिदिन प्राप्त होने वाले इनपुट <u>(Today-Tomorrow)</u> का प्रतिदिन अपने निकट पर्यवेक्षण में पुलिस प्रबन्ध के आदेश- निर्देश निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। • अभिसूचना मुख्यालय से प्रतिदिन प्राप्त होने वाली <u>आसूचनाओं</u> को समस्त सम्बन्धित को आदेश निर्गत करते हुए सम्पूर्ण लखनऊ नगर के कानून व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रमों आदि की स्वयं समीक्षा कर समय से तैयार कराकर अपने हस्ताक्षर से निर्गत करेंगे, जिसकी एक प्रति मुझे भी अवलोकनार्थ समय से प्रेषित करेंगे। समस्त पुलिस उपायुक्त लखनऊ तथा अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल एवं सहायक पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था द्वारा इस कार्य हेतु पूर्ण सहयोग किया जायेगा। • लखनऊ नगर क्षेत्र में घटित होने वाली किसी भी अपराध जिसमें कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो अतः ऐसी कोई भी घटना, जिसके सम्बन्ध में अपराध पजीकृत होने के पश्चात् कुछ दिनों तक उनका कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे सभी अपराधों की समीक्षा एवं उचित विवेचना हेतु पर्यवेक्षण संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था द्वारा किया जायेगा। जिस समय सम्बन्धित अपराध का कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रभाव समाप्त होगा (सामान्त्यः एक सप्ताह) तत्पश्चात् उस अपराध की समीक्षा एवं गुणवत्ता पूर्वक विवेचना हेतु पर्यवेक्षण संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय द्वारा किया जायेगा। • लखनऊ नगर में होने वाले विभिन्न <u>आयोजनों/कार्यक्रमों की अनुमति</u> आदि से सम्बन्धित कार्यों का भी पर्यवेक्षण किया जायेगा। • लखनऊ नगर में संचालित <u>यूपी-112</u> की चार पहिया/दो पहिया गाड़ियों के संचालन रूट चार्ट के अनुसार कराते हुए समस्त ड्यूटियों का भी पर्यवेक्षण करेंगे। • लखनऊ नगर में <u>मीडिया सेल/सोशल मीडिया</u> पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की समीक्षा कर उनका पर्यवेक्षण करेंगे।

2	संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं अपराध (J.C.P. HEADQUARTERS & CRIME)	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> मुख्यालय एवं अपराध तथा रिजर्व पुलिस लाइन्स/परिवहन शाखा से सम्बन्धित समस्त इकाईयों/शाखाओं सम्बन्धित मामलों में आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेगे तथा की गयी कार्यवाही का पर्यवेक्षण करेंगे। पुलिस उपायुक्त मुख्यालय तथा पुलिस उपायुक्त अपराध एवं अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/अपराध तथा सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय/अपराध द्वारा उक्त कार्य में पूर्ण सहयोग किया जायेगा एवं निम्नानुसार इकाईयों/शाखाओं का पर्यवेक्षण भी करेंगे:- <ul style="list-style-type: none"> अपराध शाखा। साईबर सेल प्रधान लिपिक शाखा। आंकिक शाखा। शिकायत प्रकोष्ठ। सीसीटीएनएस प्रकोष्ठ। रिट सेल। वेरीफिकेशन सेल। लोक शिकायत प्रकोष्ठ। मानवाधिकार प्रकोष्ठ। आईजीआरएस शाखा। जनसूचना प्रकोष्ठ। वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ। अभियोजन शाखा। सम्मन सेल। विशेष जांच प्रकोष्ठ। पैरवी प्रकोष्ठ। मानीटरिंग सेल। विशेष किशोर पुलिस इकाई। डीसीआरबी। एएचटीयू। गुमशुदगी सेल। मॉडस ऑपरेंडी सेल। एनएएफआई सेल। एनआरआई सेल। सी.एम. हेल्प लाइन। लखनऊ नगर के समस्त थानों/अपराध शाखा में लम्बित विवेचनाओं के निस्तारण के सम्बन्ध में नियमित ओओआरओ करेंगे तथा समस्त पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस उपायुक्तगणों के द्वारा किये गये ओओआरओ का पर्यवेक्षण/अनुश्रवण करते हुए लम्बित विवेचनाओं का निर्धारित समय के अन्दर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण करना सुनिश्चित करेंगे। लखनऊ नगर में फायर सर्विस से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए समय-समय पर मुख्य अग्निशमन अधिकारी/अग्निशमन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।
3	पुलिस उपायुक्त(D.C.P.)	नगर पूर्वी	<ul style="list-style-type: none"> नगर पूर्वी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
4	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर पश्चिमी	<ul style="list-style-type: none"> नगर पश्चिमी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
5	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर उत्तरी	<ul style="list-style-type: none"> नगर उत्तरी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
6	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर दक्षिणी	<ul style="list-style-type: none"> नगर दक्षिणी क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

7	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.)	नगर मध्य	<ul style="list-style-type: none"> • नगर मध्य क्षेत्र के थानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। • लखनऊ नगर में संचालित यूपी-112 की चार पहिया/दो पहिया गाड़ियों के संचालन रूट चार्ट के अनुसार कराते हुए समस्त ड्यूटियों का भी पर्यवेक्षण करेंगे। • लखनऊ नगर में मीडिया सेल/सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाली सूचनाओं की समीक्षा कर उनका पर्यवेक्षण करेंगे।
8	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.) पुलिस लाइन्स	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> • संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन्स/यातायात पुलिस लाइन्स/परिवहन शाखा से सम्बन्धित निम्नानुसार इकाईयों/शाखाओं का पर्यवेक्षण भी करेंगे:- • शिकायत प्रकोष्ठ। • सीसीटीएनएस प्रकोष्ठ। • लोक शिकायत प्रकोष्ठ। • आईजीआरएस शाखा। • एनआरआई सेल। • सी एम हेल्प लाइन। • जनसूचना प्रकोष्ठ आदि शाखाओं के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करके आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेगे। • इस कार्य में अपर पुलिस उपायुक्त लाइन्स एवं सहायक पुलिस आयुक्त लाइन्स द्वारा इनका सहयोग किया जायेगा। • संयुक्त पुलिस आयुक्त, मुख्यालय एवं अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर में फायर सर्विस से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करते हुए समय-समय पर मुख्य अग्निशामन अधिकारी/अग्निशामन अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करेंगे।
9	पुलिस-उपायुक्त (D.C.P.)यातायात	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> • संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था के निर्देशन में लखनऊ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में यातायात नियंत्रण एवं संचार रूप से यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
10	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.) मुख्यालय, अपराध, महिला अपराध एवं सुरक्षा	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> • संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशन में सम्पूर्ण क्षेत्र में घटित विभिन्न अपराधों की समीक्षा कर अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही कराये जाने तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर अपेक्षित नियंत्रण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त निम्नानुसार शाखाओं/ इकाईयों का भी पर्यवेक्षण करेंगे:- • प्रधान लिपिक शाखा। • आकिक शाखा। • रिट सेल। • वेरीफिकेशन सेल। • अपराध शाखा। • साईबर सेल • सर्विलास सेल। • डी.सी.आर.बी। • ए.एच.टी.यू। • विशेष किशोर पुलिस इकाई। • गुमशुदगी सेल। • मॉडस ऑपरेंडी सेल। • एन.ए.एफ.आई.एस. सेल। • फील्ड यूनिट। • विशेष जांच प्रकोष्ठ। • पैरवी प्रकोष्ठ। • मानीटरिंग सेल। • वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ। • अभियोजन शाखा, सम्मन सेल एवं मानवाधिकार प्रकोष्ठ। • संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय के निर्देशन में लखनऊ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले सभी अपराधों की समीक्षा कर उनकी रोकथाम एवं महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराये जाने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध व महिला सहायता प्रकोष्ठ/महिला आयोग प्रकोष्ठ/महिला सम्मान कोष द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जायेगा।

11	पुलिस उपायुक्त (D.C.P.) अभिसूचना एवं सुरक्षा	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> अभिसूचना एवं सुरक्षा शाखा तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण अभिसूचनाओं से मुझे व जेसीपी कानून एवं व्यवस्था/जेसीपी मुख्यालय एवं अपराध सहित समस्त सम्बन्धित को समय से अवगत करायेगे एवं विभिन्न महानुभावों की सुरक्षा तथा विधानसभा एवं सचिवालय सुरक्षा व मा0 हाईकोर्ट सुरक्षा सहित मा0 अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा करके तदनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करावी जायेगी।
12	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी	<ul style="list-style-type: none"> नगर पूर्वी क्षेत्र के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने में पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के पर्यवेक्षण में पुलिस लाइन्स के कार्यों में अपेक्षित सहयोग किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
13	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमी	<ul style="list-style-type: none"> नगर पश्चिमी क्षेत्र के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने में पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमी का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
14	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी	<ul style="list-style-type: none"> नगर उत्तरी क्षेत्र के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण किये जाने में पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
15	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर दक्षिणी/ अतिरिक्त प्रभार अपर पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> नगर दक्षिणी क्षेत्र के धानों के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करेगी तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होगी। संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त, महिला अपराध एवं सुरक्षा के निर्देशन में लखनऊ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले सभी अपराधों की समीक्षा कर उनकी रोकथाम एवं महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराये जाने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी तथा सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध व महिला सहायता प्रकोष्ठ/महिला आयोग प्रकोष्ठ/महिला सम्मान कोष द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जायेगा।
16	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त नगर मध्य	<ul style="list-style-type: none"> नगर मध्य क्षेत्र के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण किये जाने में पुलिस उपायुक्त नगर मध्य का सहयोग करेंगे तथा अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
17	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध/पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय के निर्देशन में मुख्यालय से सम्बन्धित समस्त इकाईयों/शाखाओं(प्रधान लिपिक शाखा) के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करके आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेगे। सहा0पुलिस आयुक्त, कार्यालय द्वारा इनका सहयोग किया जायेगा। लखनऊ नगर में संचालित यूपी-112 की चार पहिया/दो पहिया गाड़ियों के संचालन रूट घाट के अनुसार कराते हुए समस्त ड्यूटियों आदि में पुलिस उपायुक्त मध्य का सहयोग करेंगे।
18	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त यातायात	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/पुलिस उपायुक्त यातायात के निर्देशन में लखनऊ नगर क्षेत्र में यातायात नियंत्रण एवं सुचारु रूप से यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस उपायुक्त यातायात का सहयोग करेंगे तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
19	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	विधानसभा एवं सचिवालय सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा के निर्देशन में विधानसभा एवं सचिवालय सुरक्षा तथा विभिन्न अधीनस्थ न्यायालयों की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को समय से सम्पादित करायेगे तथा ऐसे सभी कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेंगे।
20	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	मा0 हाईकोर्ट सुरक्षा	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा के निर्देशन में मा0 उच्च न्यायालय की सुरक्षा से सम्बन्धित कार्यों को समय से सम्पादित करेंगी तथा ऐसे सभी कार्यों का पर्यवेक्षण भी करेंगे।
21	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त अपराध एवं स्टॉफ ऑफिसर, पुलिस आयुक्त लखनऊ	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण, साईबर अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी खिधिक कार्यवाही कराये जाने में पुलिस उपायुक्त अपराध का सहयोग करेंगे तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर अपेक्षित नियंत्रण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। पुलिस आयुक्त, लखनऊ के स्टॉफ ऑफिसर के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

22	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त प्रोटोकॉल	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था/पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के निर्देशन में लखनऊ में आगमन करने वाले विभिन्न महानुभावों (वीवीआईपी/वीआईपी)की प्रोटोकॉल एवं सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी सम्पूर्ण आदेश-निर्देश समय से तैयार कराकर संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था के समक्ष प्रस्तुत कर उनके हस्ताक्षर से निर्गत करायेगे तथा प्रोटोकाल सेल के दायित्वों का निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
23	अपर पुलिस उपायुक्त (Addl.D.C.P.)	अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के निर्देशन में लखनऊ नगर की कानून-व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त प्रोटोकाल सेल के दायित्वों का भी निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था के निर्देशन में कार्य करेंगे।
24	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त गौमतीनगर	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी के निर्देशन में सर्किल गौमतीनगर के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
25	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी के निर्देशन में सर्किल कैण्ट के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगी तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
26	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी के निर्देशन में सर्किल विभूति खण्ड के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
27	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त चौक	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमीके निर्देशन में सर्किल चौक के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
28	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमीके निर्देशन में सर्किल कैसरबाग के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
29	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमीके निर्देशन में सर्किल बाजारखाला के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
30	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त महानगर/अतिरिक्त प्रभार सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा-1 (जोन-उत्तरी एवं पश्चिमी जोन)	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी के निर्देशन में सर्किल महानगर के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा-प्रथम संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं सुरक्षा मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त महिला अपराध एवं सुरक्षा के निर्देशन में लखनऊ नगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में महिलाओं के प्रति घटित होने वाले सभी अपराधों की समीक्षा कर उनकी रोकथाम एवं महिलाओं की समस्याओं का त्वरित निस्तारण कराये जाने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा महिला सहायता प्रकोष्ठ/महिला आयोग प्रकोष्ठ/महिला सम्मान कोष द्वारा किये जाने वाले कार्यों का पर्यवेक्षण भी किया जायेगा।
31	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी के निर्देशन में सर्किल अलीगंज के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।
32	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर	<ul style="list-style-type: none"> पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी के निर्देशन में सर्किल गाजीपुर के धानों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा प्रभावी अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

44	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त साइबर सेल/अतिरिक्त प्रभार सहायक पुलिस आयुक्त अपराध	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर क्षेत्र में अपराध नियंत्रण एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्यवाही कराये जाने में पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त अपराध का सहयोग करेंगे तथा सम्पूर्ण क्षेत्र में अपराध एवं अपराधियों पर अपेक्षित नियंत्रण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में लखनऊ नगर में साइबर अपराधों की रोकथाम से सम्बन्धित समस्त शिकायतों का समयबद्ध रूप से निस्तारण एवं अनावरण कराना सुनिश्चित करेंगे।
45	पुलिस उपाधीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई (प्रज्ञान)	लखनऊ नगर	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/डीसीपी अभिसूचना एवं सुरक्षा के निर्देशन में अभिसूचना एवं सुरक्षा शाखा तथा स्थानीय अभिसूचना इकाई से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण किया जायेगा तथा महत्वपूर्ण अभिसूचनाओं से मुझे व जेसीपी कानून एवं व्यवस्था/जेसीपी मुख्यालय एवं अपराध सहित समस्त सम्बन्धित को समय से अवगत करायेगे एवं विभिन्न महानुभावों की सुरक्षा से सम्बन्धित मामलों की समीक्षा कराकर तदनुसार अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।
46	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त लेखा(आंकिक)	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय/डीसीपी मुख्यालय के निर्देशन में आंकिक शाखा से सम्बन्धित समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के देयकों का समय से भुगतान किया जाना सुनिश्चित करायेगे।
47	सहायक पुलिस आयुक्त, (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय/पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय के निर्देशन में मुख्यालय से सम्बन्धित समस्त इकाईयों/शाखाओं के कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण करके आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करायेगे।
48	सहायक पुलिस आयुक्त (A.C.P.)	सहायक पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून एवं व्यवस्था/पुलिस उपायुक्त मुख्यालय के निर्देशन में लखनऊ नगर की कानून-व्यवस्था बनाये रखने के अतिरिक्त प्रोटोकाल सेल के दायित्वों का भी निर्वहन किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा संयुक्त पुलिस आयुक्त, कानून व्यवस्था के निर्देशन में कार्य करेंगे।

उपरोक्त समस्त अधिकारीगण उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों के अनुपालन में आवंटित उत्तरदायित्व का निर्वहन तत्काल प्रभाव से किया जाना सुनिश्चित करें तथा भविष्य में अधिकारियों के स्थानान्तरण की दशा में यह आदेश पदनाम से प्रभावी रहेगा।

संख्या: सीए/सीपी- 13/2022/1950

दिनांक: सितम्बर 15, 2022

(एस0बी0 शिपडकर)
पुलिस आयुक्त,
लखनऊ।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अनुपालन/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त संयुक्त पुलिस आयुक्त/डीसीपी/एडीसीपी/एसीपी लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक अभियोजन, लखनऊ।
- 3- मुख्य अग्निशमन अधिकारी, लखनऊ।
- 4- सहायक रेडियो अधिकारी, लखनऊ।
- 5- पुलिस उपाधीक्षक(अभिसूचना), लखनऊ।
- 6- प्रतिसार निरीक्षक रिजर्व पुलिस लाईन, लखनऊ।
- 7- प्रतिसार निरीक्षक परिवहन शाखा, लखनऊ।
- 8- समस्त प्रभारी निरीक्षक, लखनऊ।
- 9- समस्त शाखा प्रभारी, लखनऊ।
- 10- वाचक-पुलिस आयुक्त/प्रधान लिपिक/आंकिक, लखनऊ।
- 11- वाचक, न्यायालय पुलिस आयुक्त, लखनऊ।
- 12- प्रभारी नगर नियंत्रण कक्ष, लखनऊ।
- 13- प्रभारी फील्ड यूनिट, लखनऊ।

1-1 कमिश्नरियल क्वालिफिकेशनल रिक्वायर्स

शासन द्वारा इस सम्बन्ध में अधिसूचना सं०-1983पी/छः-पु०-06-2022-01 विविध/2020 दिनांक-04.11.2022 द्वारा 02 पुलिस जिलो यथा लखनऊ नगर और लखनऊ ग्रामीण का विलय करके पुनर्गठन करके 52 पुलिस थानो सहित पुलिस जिला लखनऊ के रूप में किया गया है। पुलिस कमिश्नरियल लखनऊ को 05 जोन में विभक्त किया गया है। जिनका विवरण व संगठन निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्र	कार्यक्षेत्र	नाम थाना
1	पुलिस उपायुक्त पश्चिमी	अपर पुलिस उपायुक्त पश्चिमी	सहायक पुलिस आयुक्त चौक	चौक
				ठाकुरगंज
				वजीरगंज
			सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला	बाजारखाला
				सआदतगंज
				तालकटोरा
			सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद	मलिहाबाद
				रहीमाबाद
				माल
			सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी	काकोरी
				पारा
				दुबग्गा
मानकनगर				
2.	पुलिस उपायुक्त पूर्वी	अपर पुलिस उपायुक्त पूर्वी	सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट	कैण्ट
				आशियाना
				पी०जी०आई०
				आलमबाग
			सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर	गोमतीनगर
				गोमतीनगर विस्तार
				विभूतिखण्ड
			सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड	चिनहट
				बीबीडी
3.	पुलिस उपायुक्त उत्तरी	अपर पुलिस उपायुक्त उत्तरी	सहायक पुलिस आयुक्त बी०के०टी०	बी०के०टी०
				इटौंजा
				सैरपुर
				महिला थाना द्वितीय
			सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज	अलीगंज
				मड़ियांव
				जानकीपुरम
			सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर	गाजीपुर
				गुडम्बा
				इन्दिरानगर

				विकासनगर
4.	पुलिस उपायुक्त दक्षिणी	अपर पुलिस उपायुक्त दक्षिणी	सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज	मोहनलालगंज
				नगराम
				निगोहा
			सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज	गोसाईगंज
				सुनान्त गोल्फ सिटी
				कृष्णानगर
			सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर	सरोजनीनगर
				बन्थरा
				बिजनौर
5.	पुलिस उपायुक्त मध्य	अपर पुलिस उपायुक्त मध्य	सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज	हजरतगंज
				हुसैनगंज
				गौतमपल्ली
				महिला थाना
			सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग	कैसरबाग
				अमीनाबाद
				नाका
			सहायक पुलिस आयुक्त महानगर	महानगर
				हसनगंज
मदेयगंज				

1-2 पुलिस कमिश्नरिय [कुआँ एाँ fLFkr fofHkUu bdkbz; kã ds dk; kã ds i ; bsk.k vf/kdkjh&बिन्दु सं०-01 में अंकित है।

पुलिस अधिनियम की धारा 22 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ रहेगा और उसे जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है। पुलिस अधि० 1861 की धारा 23 के अनुसार प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है, कि वह पुलिस विभाग के संचालन हेतु विहित विभिन्न नियमों एवं कानूनों तथा किसी सक्षम अधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों एवं वारण्टों का पालन एवं निष्पादन करें। लोक शांति को प्रभावित करने वाले गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों एवं लोक न्यूसेंस का निवारण करें, अपराधियों का पता लगायें और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें।

1-3 अपर मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन, गृह (पुलिस) अनुभाग-6 के अधिसूचना संख्या-7 / 2020 / 53पी / छः-पु-6-2020-01-विविध / 2020 दिनांक 13.01.2020 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम सं०-02 1947) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 21 के अधीन अग्रेतर आदेशों तक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 58 अध्याय 08 व अध्याय 10 के प्रयोजन के लिये लखनऊ नगर में तैनात संयुक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त, अपर उपपुलिस आयुक्त और सहायक

पुलिस आयुक्त को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त की गयी हैं। सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज व सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर द्वारा अपने अपने क्षेत्र को छोड़कर लखनऊ महानगरीय क्षेत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 से 124 तथा 133 से 143 एवं 145 से 148 के अन्तर्गत कार्यपालक मजिस्ट्रेट को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग किये जाने हेतु नामित किया गया है। पुलिस आयुक्त के अतिरिक्त संयुक्त पुलिस आयुक्त, उप पुलिस आयुक्त, अपर उपपुलिस आयुक्त द्वारा अपने अधिकारिता के अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता का प्रयोग किया जायेगा।

2- vf/kdkfj ; k , oa de/pkfj ; k dh 'kfDr ; k , oa drD ; :-

पुलिस अधिनियम, पुलिस रेगुलेशन, द0प्र0सं0, अन्य अधिनियमों तथा विभिन्न शासनादेशों के अन्तर्गत पुलिस के अधिकारियों/कर्मचारियों के निम्नलिखित अधिकार एवं कर्तव्य हैं –

2-1i fyi vf/kfu ; e&

/kkjk	vf/kdkfj ; k , oa de/pkfj ; k dh 'kfDr ; k , oa drD ;
7	आन्तरिक अनुशासन बनाये रखने हेतु राजपत्रित अधिकारियों को किसी समय अधीनस्थ पदों के ऐसे किसी अधिकारी को दण्डित करने की शक्ति होती है, जो कि अपने कर्तव्य के निर्वहन में शिथिल एवं उपेक्षावान पाये जायें।
17	विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में जब यह प्रतीत हो कि कोई विधि विरुद्ध जमाव, बलवा या शान्ति भंग हुई हो या होने की गम्भीर संभावना हो, तो विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने की शक्ति होती है।
22	पुलिस अधिकारी सदैव कर्तव्यारूढ़ माने जाते हैं तथा उन्हें जिले के किसी भी भाग में नियोजित किया जा सकता है।
23	प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसे विधि पूर्वक जारी किये गये सब आदेशों का पालन व निष्पादन करें, लोक शान्ति को प्रभावित करने वाली गुप्त वार्ता का संग्रह करें, अपराधों व लोक न्यूसेन्स का निवारण करें, अपराधियों का पता लगायें तथा उन सब व्यक्तियों को गिरफ्तार करें, जिनको गिरफ्तार करने के लिए वैधता प्राधिकृत है तथा जिनको गिरफ्तार करने के लिए पर्याप्त आधार विद्यमान हैं। इसके लिए उसे बिना वारण्ट किसी शराब की दुकान, जुआ घर या भ्रष्ट या उदण्ड व्यक्तियों के समागम के अन्य स्थान में प्रवेश करना और उसका निरीक्षण करना विधिपूर्ण होगा।
25	लावारिस सम्पत्ति को पुलिस अधिकारी अपने भार साधन में लें तथा इसकी सूचना मजिस्ट्रेट को दें तथा नियमानुसार उस सम्पत्ति को निस्तारित करेंगे।
30	लोक जमावों और जुलूसों को विनियमित करने और उसके लिए अनुमति देने की शक्ति।
30d	उपरोक्त अनुमति की शर्तों के उल्लंघन करने पर थाने के भार साधक अधिकारी तथा अन्य अधिकारियों को जुलूस या किसी जमाव को रोकने या बिखर जाने के आदेश देने की शक्ति।

31	सार्वजनिक सड़कों व मार्गों, आम रास्तों, घाटों व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर व्यवस्था बनाये रखने का कर्तव्य।
34	किसी व्यक्ति द्वारा किसी ढोर का बध करने, उसे निर्दयता से मारने या यातना देने, ढोर गाड़ी से यात्रियों को बाधा पहुँचाने, मार्ग पर गन्दगी व कुड़ा फेकने, मतवाले या उपद्रवी व्यक्तियों द्वारा शरीर का अशिष्ट प्रदर्शन करने पर, किसी पुलिस अधिकारी के लिए यह विधि पूर्ण होगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारण्ट के अभिरक्षा में ले लें।
34d	उपरोक्त अपराध के शमन करने की शक्ति राजपत्रित पुलिस अधिकारियों में निहित है।
47	ग्राम चौकीदारों पर प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण का दायित्व।

2-2 ifyl jxqys' ku:-

ilrj	drD;
12 से 16 पुलिस अधीक्षक	<p>पुलिस अधीक्षक जिले के पुलिस बल के प्रधान होते हैं वे अधीनस्थ पुलिस बल के दक्षता, अनुशासन एवं कर्तव्यों के पालन के लिए दायित्वाधीन होते हैं। मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स के मध्य सभी संव्यवहार पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही किये जाते हैं।</p> <p>पुलिस अधीक्षक यदि मुख्यालय पर उपस्थित हैं तो जनता की समस्या सुनने के लिए कार्यालय में बैठेंगे उन्हें स्वतन्त्रतापूर्वक वैचारिक संसूचना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए सूचना के जितने साधन होंगे तदनु रूप उनकी दक्षता होगी। पुलिस पेंशनर्स से उनका संपर्क होना चाहिए और उन्हें विनिर्दिष्ट रीति से जिले में थानों व पुलिस लाइन का निरीक्षण करना चाहिए। आबकारी विषयों पर आयोजित होने वाले वार्षिक समारोह में पुलिस अधीक्षक की व्यक्तिगत मौजूदगी एवं पर्यवेक्षण आवश्यक है।</p> <p>पड़ोसी जनपदों के पुलिस अधीक्षकों से यथासम्भव वर्ष में एक बार भेंट आवश्यक है। पुलिस अधीक्षक द्वारा शासकीय आदेश की पुस्तिका में जिले का प्रभार सौंपे जाने वाले राजपत्रित अधिकारी द्वारा गोपनीय ज्ञापन तैयार किये जाने संबंधित अंतर्विष्ट अनुदेशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।</p>
17 सहायक पुलिस अधीक्षक एवं उपाधीक्षक	सहायक पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस उपाधीक्षक के द्वारा पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर किसी भी उस कार्य को किया जाता है, जो व्यक्तिगत रूप से विधि व नियमों द्वारा पुलिस अधीक्षक के लिए बाध्यकारी न हो।
18 से 23 प्रतिसार निरीक्षक	प्रतिसार निरीक्षक के रिजर्व पुलिस लाइन के भार साधक अधिकारी होते हैं जो कि जवानों की साज सज्जा, अनुशासन, प्रशिक्षण के उत्तरदायी होंगे। आयुध व बारूद की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं।
24 रिजर्व सबइंस्पेक्टर	रिजर्व सब इन्सपेक्टर प्रतिसार निरीक्षक की सहायता हेतु नियुक्त होते हैं जो गार्ड एवं स्कोर्ट को निर्देशित करने, यातायात नियंत्रण तथा कानून एवं व्यवस्था के संबंध में प्रतिसार निरीक्षक द्वारा आदेशित प्रत्येक आवश्यक कार्य को करते हैं।
40 से 43 सर्किल	सर्किल इन्सपेक्टर के कर्तव्यों के संबंध में उल्लेख है, जिसमें उसका प्रमुख कर्तव्य

इंस्पेक्टर	जांच पडताल की देख-भाल और अपराध का निवारण करना, पुलिस क्षेत्र में निवारक और अनुवेषण कार्यों में सामन्जस्य रखना, थानों का निरीक्षण करना, सभी महत्वपूर्ण विषयों, घटना स्थलों का निरीक्षण व अन्वेषण में मार्गदर्शन करना, स्वयं अन्वेषण करना, क्षेत्र की मासिक रिपोर्ट तैयार करना, पुलिस अधीक्षक को प्रत्येक आवश्यक घटना की सूचना देना, लाइन्सेसी दुकानों का निरीक्षण करना, अधिनस्थ पुलिस के आचरण की निगरानी करना, अपराधों का दमन और सामन्जस्य बनाये रखने के उत्तरदायित्व से निरन्तर आबद्ध रहना। (वर्तमान में सर्किल इंस्पेक्टर का पद विभाग में नहीं है इन कार्यों का निर्वहन सहायक पुलिस आयुक्तके द्वारा यथा निर्देशित रूप में किया जाता है।)
43 से 50 थानाध्यक्ष	थानाध्यक्ष अपने प्रभार की सीमा के अन्तर्गत पुलिस प्रशासन का संचालन करता है तथा बल की सभी शाखाओं पर प्राधिकार रखता है। वह सभी रजिस्ट्रों, अभिलेखों, विवरणियों और रिपोर्टों की शुद्धता के लिए अधिनस्थों के प्रति दायित्वाधीन होगा। उसे क्षेत्र के सभी सभ्रान्त व्यक्तियों से सुपरिचित एवं उनके प्रति मैत्रीपूर्ण सहयोग सुनिश्चित करना चाहिए। उसे थाने की परिधि के अन्दर बुरे व्यक्तियों की निगरानी समुचित तरीके से करते रहना चाहिए। थाने पर किसी भी अधिकारी के न उपस्थित होने पर सीनियर कांस्टेबिल थाने का भार साधक अधिकारी होगा किन्तु वह तफ्तीश नहीं करेगा। थानाध्यक्ष द्वारा थाने का चार्ज लेने पर पुलिस फार्म 299 भरकर पुलिस अधीक्षक को सूचना भेजेंगे।
51 द्वितीय अधिकारी	थाने के द्वितीय अफसर का कर्तव्य प्रातः कालीन परेड कराना, भारसाधक अधिकारी द्वारा सौंपे गये समस्त निर्देशों को अधीनस्थों को बताना, अन्वेषण करना होता है।
55 gM ekgfjĵ	हेड मोहर्रिर के कर्तव्यः— 1—रोजनामचा आम और अपराधों की प्रथम सूचना लिखना। 2— हिन्दी रोकड़ बही ¼i {ŷl OkeĻ uĒcj 224½ 3— यदि पुलिस अधीक्षक आदेश दें तो धारा 174 द0प्र0स0 के अन्तर्गत पंचायतनामा लिखना।
61 s 64 chV vĵ {kh	कान्स0 नागरिक पुलिस द्वारा जनता की समस्याओं पर नम्रता पूर्वक विचार करना चाहिए। उनका मूल कर्तव्य अपराधों की रोकथाम करना है। थाने पर सन्तरी ड्यूटी के समय वह अभिरक्षाधीन कैदियों, कोश तथा मालखाना एवं थाने के अन्य सम्पत्तियों की रक्षा करेगा। बीट कान्स0 के रूप में संदिग्ध अपराधियों, फरार अपराधी तथा खानाबदोश अपराधियों की सूचना प्रभारी अधिकारी को देगा।
65 s 69 l 'kL= i {ŷl cy	सशस्त्र पुलिस के रूप में खजानों, हवालातों के संरक्षक, कैदियों और सरकारी सम्पत्ति की रास्ते में देखभाल, आयुध भण्डार, अपराध दमन तथा खतरनाक अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनका पीछा करना मूल दायित्व है।
79 s 83 ?kMI okj	घुड़सवार पुलिस द्वारा उत्सवों या अन्य आयोजनों में भीड़ नियंत्रण का कार्य किया जाता है।
89 s 96 pkŷdhinkj	ग्राम चौकीदार द्वारा अपने प्रभाराधीन गाँवों की देखरेख करना, अपराध एवं अपराधियों की सूचना देना व विधि के प्राधिकार के अधीन अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दायित्व होता है।

2-3 n.M i fØ; k l fgrk%&

n0i 0l 0 dh /kkjk	vf/kdkfj ; k @depkfj ; k ds drD;
36	पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी से वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिस थाने क्षेत्र में नियुक्त हैं उसमें सर्वत्र उन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं जिनका प्रयोग अपने थाने की सीमाओं के अन्दर थाने के भार साधक अधिकारी द्वारा किया जाता है।
41	बिना वारण्ट की गिरफ्तारी निम्नलिखित दशाओं में करने की शक्तियाँ। 1. संज्ञेय अपराध की दशा में। 2. कब्जे से गृह भेदन का उपकरण। 3. उद्घोषित अपराधी। 4. चुराई गयी सम्पत्ति की संभावना। 5. पुलिस अधिकारी के कर्तव्य पालन में बाधा। 6. सशस्त्र बलों का भगोड़ा। 7. भारत के बाहर भारत में दण्डनीय किया गया अपराध। 8. छोड़े गये सिद्धदोष बन्दी द्वारा नियम उल्लंघन पर। 9. वांछित अपराधी।
42	नाम और निवास बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तारी।
47	उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है।
48	गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत पुलिस अधिकारी को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति।
49	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को उतने से अधिक अवरुद्ध नहीं किया जायेगा जितना की उसके निकल भागने से रोकने के लिए आवश्यक है।
50	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को गिरफ्तार के आधारों और जमानत के अधिकार की सूचना दिया जाना।
51	गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की तलाशी।
52	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अकामक आयुधों को अधिग्रहण करने की शक्ति।
53	पुलिस अधिकारी के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
54	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के आवेदन पर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाना।
56	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को अनावश्यक विलम्ब के बिना अधिकारिता मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना।
57	गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को 24 घण्टे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में निरुद्ध न रखना।

58	बिना वारण्ट गिरफ्तारारियों की सूचना कार्यकारी मजिस्ट्रेट को देना।
60	अभिरक्षा से भागे अभियुक्तों को सम्पूर्ण भारत में कहीं भी गिरफ्तार की शक्ति।
100	बन्द स्थान के भार साधक व्यक्ति, उस अधिकारी को जो वारण्ट का निष्पादन कर रहा है, तलाशी लेने देंगे।
102	ऐसी वस्तुओं को अभिग्रहीत करने की शक्ति जिनके सम्बन्ध में चोरी की हुई होने का सन्देह हो।
129	उपनिरीक्षक व उससे उच्च समस्त अधिकारियों को, पुलिस बल के प्रयोग द्वारा जमाव को तितर बितर करने की शक्ति।
130	ऐसे जमाव को तितर बितर करने के लिए सशस्त्र बल का प्रयोग।
131	जमाव को तितर बितर करने की सशस्त्र बल के राजपत्रित अधिकारियों की शक्ति।
132	धारा 129, 130, 131 के अधीन सद्भावना पूर्वक किये गये कार्यों के सन्दर्भ में अभियोजन से संरक्षण।
149	प्रत्येक पुलिस अधिकारी किसी संज्ञेय अपराध के किये जाने का निवारण करेगा।
150	संज्ञेय अपराधों के किये जाने की परिकल्पना की सूचना।
151	उक्त के सन्दर्भ में बिना वारण्ट गिरफ्तारी का अधिकार।
152	लोक सम्पत्ति की क्षति रोकने का अधिकार।
153	खोटे बॉट मापों का निरीक्षण/ अधिग्रहण।
154	संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।
155	असंज्ञेय मामलों में थाने के भार साधक अधिकारी को ऐसी इत्तिला का सार संबंधित पुस्तिका में प्रविष्ट करायेगा और इत्तिला देने वाले को मजिस्ट्रेट के पास जाने के लिए निर्दिष्ट करेगा।
156	संज्ञेय मामलों अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
160	अन्वेषण के अनतर्गत साक्षियों की हाजिरी की अपेक्षा करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति।
161	पुलिस द्वारा साक्षियों का परीक्षण किये जाने की शक्ति।
165	अपराध के अन्वेषण के प्रयोजनों के लिए किसी स्थान में ऐसी चीज के लिए तलाशी ली जा सकती है जो अन्वेषण के प्रायोजन के लिए आवश्यक हो। तलाशी एवं जफती के कारणों को लेखबद्ध किया जायेगा।
166	अन्वेषणकर्ता अन्य पुलिस अधिकारी से भी तलाशी करवा सकता है।
167	जब 24 घण्टे के अन्दर अन्वेषण न पूरा किया जा सके तो अभियुक्त का रिमाण्ड लेने की शक्ति।
169	साक्ष्य अपर्याप्त होने पर अभियुक्त को छोड़ा जाना।
170	जब साक्ष्य पर्याप्त हो तो मामलों को मजिस्ट्रेट के पास विचारण के लिए भेज दिया जाना।
172	अन्वेषण में की गयी कार्यवाहियों को केस डायरी में लेखबद्ध किया जाना।
173	अन्वेषण के समाप्त हो जाने पर पुलिस अधिकारी द्वारा सशक्त मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट

	भेजना।
174	आत्महत्या आदि पर पुलिस द्वारा मृत्यु समीक्षा करना और रिपोर्ट देना।
175	धारा 174 के अधीन कार्यवाही करने वाले पुलिस अधिकारी को अन्वेषण के प्रायोजन से व्यक्तियों को समन करने की शक्ति।
176	पुलिस अभिरक्षा में मृत व्यक्ति की मृत्यु समीक्षा मजिस्ट्रेट द्वारा की जायेगी।

2-4। okPp U; k; ky; }kjk ekuokf/kdkj । Ecu/kh fun† k&

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डी0के0 बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के वाद के निर्णय में गिरफ्तारी या निरुद्धीकरण के प्रकरणों में पुलिस जनों के निम्नलिखित दायित्व अवधारित किये गये हैं।

1. गिरफ्तारी के समय गिरफ्तारकर्ता पुलिस अधिकारी को अपने पद सहित नाम पट्टिका धारण की जानी चाहिए। गिरफ्तारी का सम्पूर्ण विवरण एक रजिस्टर में अंकित किया जाये।
2. गिरफ्तारी की फर्द गिरफ्तारी के मौके पर ही तैयार की जायेगी जो क्षेत्र के सभ्रान्त व्यक्ति अथवा गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा सत्यापित होगी। गिरफ्तार व्यक्ति के प्रति पर हस्ताक्षर होंगे व एक प्रति उसे निःशुल्क दी जायेगी।
3. पुलिस अभिरक्षा में उसे अपने रिश्तेदार या मित्र से मिलने दिया जायेगा तथा उसकी गिरफ्तारी की सूचना उसके निकट संबंधी को दी जायेगी।
4. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के रिश्तेदार को निरुद्ध रखने के स्थान के बारे में बताया जायेगा।
5. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति से अवगत कराया जायेगा कि उसे अपनी गिरफ्तारी के संबंध में सूचित करने वह अधिकृत है।
6. गिरफ्तारी की सूचना को थाने के गिरफ्तारी रजिस्टर में ही अंकित किया जायेगा।
7. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति के अनुरोध पर उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
8. गिरफ्तार किये गये व्यक्ति की पुलिस अभिरक्षा की प्रत्येक 48 घण्टे पर प्रशिक्षित डाक्टर से चिकित्सीय परीक्षण कराया जायेगा।
9. गिरफ्तारी के सभी अभिलेखों की प्रतियां क्षेत्रीय दण्डाधिकारी के पास भेजी जाएंगी।
10. जांच काल में गिरफ्तार व्यक्ति को अपने अधिवक्ता से मिलने की अनुमति दी जा सकती है।
11. गिरफ्तारी की सूचना जनपद के नियन्त्रण कक्ष में नोटिस बोर्ड पर भी अंकित की जाएगी।

2.5 विज्ञापित अपराधियों की सूची तैयार करना

पुलिस महानिदेशक उ०प्र० के परिपत्र सं०-35/2005 दिनांक 09.07.2005 के द्वारा जनपद नियुक्ति के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक की शक्तियों और दायित्वों का निर्धारण किया गया है।

2.5.1 सूची तैयार करना -

2.5.1.1 संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिरोती हेतु अपहरण,रोड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।

- 1- संगठित अपराधियों तथा भाडे पर हत्या, फिरोती हेतु अपहरण,रोड होल्डअप, बैंक डकैती, आटोलिफ्टर, मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले, हवाला व्यापार करने वाले, नक्सलवादी गैंग एवं राष्ट्र विरोधी तत्व, माफिया आदि को चिन्हित कर उनकी गैंगवार सूची तैयार करना एवं तत्संबंधी सभी सूचनायें एकत्र कर उन्हें पंजीकृत कराने हेतु अग्रेतर कार्यवाही करना।
- 2- पंजीकृत अपराधियों का डोजियर तैयार करना।
- 3- संगठित अपराधियों के विरुद्ध कार्ययोजना तैयार करके जनपदीय पुलिस अधीक्षक के अनुमोदन से प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराना।
- 4- संगठित अपराधियों की गिरफ्तारी होने पर विस्तृत पूछ-ताँछ आख्या तैयार करना।

2-5-1-2 सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गरप्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।

1. सक्रिय एवं वांछित अपराधियों की सूची तैयार करना, हिस्ट्रीशीट खुलवाना, गरप्तारी हेतु कार्ययोजना बनाकर दबिश दिलवाना।
2. फ्राड अपराधियों के विरुद्ध पुरस्कार घोषित करवाना।

2-5-1-3 पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रीकरण हेतु स्रोत बनाना।

1. पेशेवर अपराधियों की अभिसूचना एकत्रीकरण हेतु स्रोत बनाना।
2. जेल में बन्द पेशेवर अपराधियों की जानकारी करना।
3. जेल से छूटने वाले पेशेवर अपराधियों की निगरानी।
4. अन्य माध्यमों से अपराधिक अभिसूचना एकत्रीकरण।

2-5-1-4 समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।

1. समस्त विशेष अपराधों के घटना स्थल का निरीक्षण।
2. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचनाओं की पर्यवेक्षण आख्या।
3. क्षेत्राधिकारी द्वारा की जा रही विवेचना वाले एस०आर० केस, राजनीतिक हत्या, 2

या 2 से अधिक व्यक्तियों की हत्या, बलात्कार के साथ हत्या, ऐसी हत्या जो सामान्य कानून को प्रभावित करती हो, डकैती, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित लूट, सनसनीखेज लूट, पुलिस अभिरक्षा से पलायन, पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु, गैंग्स्टर एक्ट के केसों को छोड़कर शेष समस्त एस0आर0 केस की क्रमागत आख्या का अनुमोदन (प्रथम व अन्तिम को छोड़कर) अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जायेगा।

; &क्षेत्र के थाना प्रभारियों एवं क्षेत्राधिकारियों के मध्य समन्वय स्थापित करना।

j&फिक्स पिकेट एवं गश्त की योजना बनाकर प्रभावी व्यवस्था करना।

y&क्षेत्र के समस्त थानों का दो माह में एक बार अर्दली रूम करना।

2-5-1-5 vfhk; kstu

न्यायालय में लंबित वादों की प्रभावी पैरवी, पैरोकार/कोर्ट मोहर्नर की मासिक बैठक तथा सेशन ट्रायल अभियोगों में विमुक्ति आख्या का वि"लेषण करना।

2-5-2 vij ifyl v/kh{kdk ds vf/kdkj &

2.5—उपरोक्तानुसार

2-5-2-1 LFkkukUrj.k l ca/kh&

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या एक—252—84 दिनांक: 08. 01.1985 के प्रस्तर 5 के बिन्दु सं0 4 में निहित निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही स्थानान्तरण के संबंध में की जायेगी।

2-5-2-2- okf"kd ellr0; &

शासनादेश संख्या: 1460/छ:—पु—1—99—51/99 के अनुसार वार्षिक मन्तव्य का अंकन करना।

2-5-2-3- n.M l Ecu/kh&

अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रचलित नियमावली के अनुरूप अपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों के विरुद्ध जांच करायी जा सकती है परन्तु जांच आख्याओं पर दण्ड पत्रावली (प्रारंभिक जांच) खुलवाने का अधिकार जनपदीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का ही होगा।

2-6 l d n o fo/kkue.My }kjk l e; l e; ij ikfjr vll; fofok

अधिनियमों और भासनादे"ों द्वारा प्रदत्त भावितयां तथा उनसे अपे"kr drll; &

संसद व विधानमण्डल द्वारा समय समय पर पारित अन्य अधिनियमों व शासन व उच्चाधिकारी स्तर से समय—समय पर निर्गत आदेशों व निर्देशों द्वारा भी पुलिस बल को

दिशा-निर्देशन प्राप्त होते रहते हैं जिनके आधार पर पुलिस बल से अपेक्षित कार्यों का सम्पादन किया जाता है।

3- fu.k; yus dh i fØ; k dh dk; fof/k ds i ; bsk.k o mRrjnkf; Ro ds Lrj &

3-1 vuq d'kku , oa foospuk%&

Ø0l 0	dk; bkgh	dk; l Lrj	vof/k
1	प्र0सू0रि0 का पंजीकरण	154 द0प्र0सं0 के अनुसार संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने के भार साधक अधिकारी के द्वारा निर्देशानुसार लेखबद्ध की जायेगी। इत्तिला की प्रतिलिपि सूचना दाता को निःशुल्क दी जायेगी। भार साधक अधिकारी द्वारा इत्तिला को अभिलिखित करने से इन्कार करने पर किसी व्यक्ति द्वारा संबंधित पुलिस अधीक्षक को ऐसी इत्तिला डाक द्वारा दी जा सकती है।	अविलम्ब
2	साक्षियों का परीक्षण	161 द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
3	अन्वेषण द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	द0प्र0सं0 के अनुसार	यथाशीघ्र
4	पर्यवेक्षण अधिकारी द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण	विशेष अपराधों की स्थिति में संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त व अन्य पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया जाता है।	यथाशीघ्र
5	साक्ष्य का संकलन	द0प्र0सं0 के अनुसार	कार्यवाही यथाशीघ्र
6	नक्शा नज़री तैयार करना	द0प्र0सं0 के अनुसार	निरीक्षण के समय
7	अभियुक्तों की गिरफ्तारी	द0प्र0सं0 के अनुसार	**
8	संस्वीकृति का लिखा जाना	** **	**
9	पुलिस/ न्यायिक अभिरक्षा का रिमाण्ड प्राप्त करना	** **	**
10	तलाशी	** **	**
11	निरूद्धि	** **	**

12	अभियोग दैनिकी का तैयार किया जाना	**	**	**
13	आरोप पत्र का दाखिल करना	**	**	**

3-2 fu; k d{k&

पुलिस कमि"नरेट लखनऊ के नियंत्रण कक्ष कमाण्ड पर कण्ट्रोल संघटक के रूप में कमि"नरेट के तंत्रिका तंत्र की तरह कार्य करता है, जो कानून व्यवस्था, अपराध, यातायात समस्या व अन्य संगत समस्याओं की सूचना प्राप्त करता है, तथा स्थानीय पुलिस को उस स्थिति से निपटने के लिये आव"यक निर्दे"ता देता है। बाढ़ व अन्य दैवीय आपदाओं के सम्बन्ध में तत्परता से कार्य करता है। कमि"नरेट लखनऊ में वर्तमान समय में निम्नलिखित नियंत्रण कक्ष स्थापित है।

Ø0l 0	fu; k d{k	VsyhOku u0	dk; l
1.	पुलिस कमि"नरेट पुलिस लाइन लखनऊ।	9454458171	पुलिस लाइन लखनऊ में नियंत्रण कक्ष स्थापित है। नियंत्रण कक्ष में कुल 07 चैनल कार्य कर रहे हैं। जोन उत्तरी चैनल-1, जोन पूर्वी चैनल-2, जोन दक्षिणी चैनल-3, जोन प"चमी चैनल-4, जोन मध्य चैनल-5, जोन यातायात चैनल-6 तथा जोन अधिकारी चैनल-11 के रूप में कार्यरत है। समस्त अधिकारीगण एवं पुलिस स्टे"ान के पुकार के नाम (काल साइन) नामांकित हैं। नियंत्रण कक्ष से समस्त अधिकारीगण एवं थानाध्यक्ष एवं थाना कार्यालय आर0/टी0 सेट,टेलीफोन के माध्यम से जुड़े रहते हैं। जिनसे सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है।
2.	यातायात नियंत्रण कक्ष	0522-2483800 0522-2481009 7311196195	यातायात नियंत्रण कक्ष से पुलिस उपायुक्त, अपर पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, निरीक्षक, उपनिरीक्षक यातायात जुड़े हैं। यातायात नियंत्रण कक्ष से जनपद लखनऊ की ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप से आवागमन करने में नियंत्रण रखती है।

इन नियंत्रण कक्षों पर 24 घण्टे एवं 07 दिन कण्ट्रोल रूम आपरेटर की नियुक्ति रहती है। नियंत्रण कक्ष पर दी गयी सूचनाओं को तत्काल लाग बुक में लाग किया जाता

है, तथा सम्बन्धित को कार्यवाही हेतु सूचित किया जाता है। वर्षाकाल, बाढ़ एवं अन्य दैवीय आपदाओं में नियंत्रण कक्ष की भी व्यवस्था आवश्यकतानुसार की जाती है।

3-3 f' kdk; rka ds fuLrkj .k dh i fØ; k%&

3-3-1 Fkkuk ij i klr i Fkkuk i =ka ds fuLrkj .k dh i fØ; k&

Ø0l 0	dk; l	fdl ds }kjk dk; bkggh gkxh	dk; bkggh l e; kof/k
1	थाने पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	थानाध्यक्ष/दिवसाधिकारी/ उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	तत्काल
2	प्रार्थना पत्र प्रस्तुत वाले का नाम आगन्तुक रजिस्टर में अंकित करना	दिवसाधिकारी/ उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
3	प्रार्थना पत्र को जनशिकायत रजिस्टर में अंकित करना	उपस्थित कां० क्लर्क द्वारा	अविलंब
4	जाँच अधिकारी नियुक्त करना व जाँच हेतु सौंपना	थाना प्रभारी द्वारा	1 दिवस
5	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना	जाँच अधिकारी द्वारा	5 दिवस में
6	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच की समीक्षा करना	थानाध्यक्ष द्वारा	1 दिवस
7	जाँच रिपोर्ट पर अग्रेतर कार्यवाही, यदि आवश्यक हो, कराना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलंब
8	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सम्बन्धित कां० क्लर्क द्वारा	01 वर्ष तक

3-3-2 ifyl vk; DRk dks Mkd l s i klr i Fkkuk i =ka ds fuLrkj .k dh i fØ; k%&

Ø0l 0	dk; l	fdl ds }kjk dk; bkggh gkxh	dk; bkggh l e; kof/k
1	कमि"नरेट लखनऊ कार्यालय की प्रधान लिपिक शाखा में उसकी प्राप्ति स्वीकार करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
2	कमि"नरेट लखनऊ कार्यालय द्वारा स्वयं या इस कार्य हेतु निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा लिफाफे को खोला जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी (सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय) द्वारा	1 दिवस
3	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को जाँच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित करना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	1 दिवस
4	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब

5	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच हेतु रखना या सम्बन्धित थानाध्यक्ष को जाँच हेतु भेजना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	2 दिवस
6	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
7	सम्बन्धित थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर या तो स्वयं जाँच करना या सम्बन्धित उपनिरीक्षक/बीट आरक्षी को जाँच हेतु भेजना।	थानाध्यक्ष द्वारा	2 दिवस
8	जाँच अधिकारी द्वारा मौके पर जाकर जाँच करना व आवश्यक कार्यवाही करके रिपोर्ट देना।	जाँच अधिकारी द्वारा	8 दिवस में सामान्यतया
9	थानाध्यक्ष द्वारा जाँच रिपोर्ट की समीक्षा करके सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त को प्रेषित करना।	थानाध्यक्ष द्वारा	अविलम्ब
10	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जाँच सही पाये जाने पर जाँच रिपोर्ट को दाखिल दफ्तर किया जाना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	अविलम्ब
11	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3.3.3 ifyl vk; DRk dks 'kkl u] vk; kxka o vU; mPPk vf/kdkjhx. kka ds Lrj l s iklr i kfkuk i =ka ds fuLrkj .k dh i fØ; T:-

001 0	dk; l	fdl ds }kjk dk; bkgh gkxh	dk; bkgh l e; kof/k
1	पुलिस आयुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन करके संबंधित अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त या थानाध्यक्ष को जाँच हेतु आदेशित करना	पुलिस आयुक्त द्वारा	1 दिवस
2	प्रार्थना पत्र को डाकबही रजिस्टर में अंकित करना व संबंधित को जाँच हेतु प्रेषित करना	सम्बन्धित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/थानाध्यक्ष द्वारा प्रार्थना पत्र का परिशीलन कर स्वयं जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना व रिपोर्ट देना	सम्बन्धित सहायक पुलिस आयुक्त/थानाध्यक्ष द्वारा	07 दिवस में सामान्यतया

4	सहायक पुलिस आयुक्त/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा आर्डर बुक करना	सहायक पुलिस आयुक्त/थानाध्यक्ष कार्यालय के कां० क्लर्क द्वारा	अविलम्ब
5	पुलिस आयुक्त द्वारा जांच रिपोर्ट का परिशीलन करके सही पाये जाने पर संबंधित को रिपोर्ट प्रेषित करना	पुलिस आयुक्त द्वारा	2 दिवस
6	जाँच रिपोर्ट का रखरखाव	पुलिस आयुक्त के गोपनीय सहायक के कां० क्लर्क द्वारा	02 वर्ष तक

3-3-4 पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्यों का संचालन

पुलिस कमिश्नरी के अंतर्गत निम्न प्रकार के कार्यों का संचालन निम्न प्रकार किया जाता है—

3-3-4-1 निम्नलिखित कार्यों का संचालन

क्र.सं.	कार्य	जिम्मेदार अधिकारी	अधिकारिता	समय
1	पेट्रोल/डीजल पम्प	जिलाधिकारी कार्यालय	अग्निशमन अधिकारी द्वारा	15 दिवस
2	पेट्री/डीलर (फुटकर पेट्रोल/डीजल)	जिलाधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
3	गैस एजेंसी	उपरोक्त	उपरोक्त	उपरोक्त
4	विस्फोटक पदार्थ	जिलाधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
5	सिनेमा हाल	जिलाधिकारी कार्यालय	उपरोक्त	उपरोक्त
6	होटल/रेस्टोरेन्ट/धर्म शाला	जिलाधिकारी कार्यालय/भवन स्वामी या प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	उपरोक्त	उपरोक्त
7	व्यवसायिक भवन	भवन स्वामी/प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	उपरोक्त	उपरोक्त
8	शीतगृह	जिलाधिकारी कार्यालय/भवन स्वामी या प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	उपरोक्त	उपरोक्त
9	फैक्ट्री	भवन स्वामी या प्रबन्धक के द्वारा प्राप्त आनलाइन आवेदन पत्र	उपरोक्त	उपरोक्त

UKS/-समस्त भवनों के किसी भी प्रकार के अग्नि"मन अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु भवन के अधिभोग के अनुरूप उ0प्र0 फायर सर्विस की वेबसाइट www.upfireservice.gov.in/ www.niveshmitra.up.nic.in के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र का निस्तारण किया जाता है।

3.3.4.2 पुलिस कमिश्नरियुजV y[kuÅ es dk;]r Qk; j l fo] LV's ku %fu; æ.k d{k½ ij fu; æ.k l ECU/kh l ipuk:-

Qk; j LV's ku@fu; æ.k d{k	VsyhQku uEcj@l h0; 10th0@b&esy vkbMh0	dk; l
मुख्य अग्निशमन अधिकारी, जनपद लखनऊ	0522-2614444 कार्यालय 0522-2629650 आवासीय 9454418344 सी0यू0जी0	जनपद का मुख्य अग्निशमन केन्द्र है
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन हजरतगंज लखनऊ	9454418641	हजरतगंज जनपद लखनऊ का मुख्य अग्निशमन केन्द्र है व उत्तर प्रदेश की राजधानी होने के कारण शहर के अन्य फायर स्टेशन नवसृजित फायर स्टेशन अग्निशमन केन्द्र हजरतगंज के वाचरूम (नियंत्रण कक्ष) में एक अधिकारी 24 घण्टे उपलब्ध रहता है। फायर स्टेशन पर जनपद में होने वाली अग्नि दूर्घटना जीव रक्षा एवं अन्य देवीय आपदाओं की सूचनाओं पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उपलब्ध वाहनों/ स्टाफ (यूनिट) को भेजा जाता है। इसके अतिरिक्त शहर के फाउण्ड्रीनगर क्षेत्र में स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए स्थायी रूप से 19 फायर यूनिट स्थापित की गयी है।
फायर स्टेशन हजरतगंज लखनऊ	0522-2622222 9454418642 fsohaz.lu-up@gov.in	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733/ छ:-पु0-8-12-801(4)/2011 दिनांक 12.11.2012 के द्वारा की जा चुकी है।
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन चौक लखनऊ	9454418643	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733/ छ:-पु0-8-12-801(4)/2011 दिनांक 12.11.2012 के द्वारा की जा चुकी है।

फायर स्टेशन चौक लखनऊ	0522-2253100 9454418644 fsochow.lu-up@gov.in	** **
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन पी0जी0आई0 लखनऊ	9454418645	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छ:-पु0- 8-12-801(4)/2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन पी0जी0आई0 लखनऊ	0522-2668111 9454418646 fsosgp.lu-up@gov.in	** **
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन आलमबाग लखनऊ	9454418647	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छ:-पु0- 8-12-801(4)/2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन आलमबाग लखनऊ	0522-2455555 9454418648 fsoalam.lu-up@gov.in	** **
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन इन्दिरानगर लखनऊ	9454418649	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 831 / छ:-पु0- 8-95-30 / 93 दिनांक 28.09.1995 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन इन्दिरानगर लखनऊ	0522-2348100 9454418650 fsoind.lu-up@gov.in	** **
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन बी0के0टी0 लखनऊ	2960707 9454418651	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छ:-पु0- 8-12-801(4)/2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन बी0के0टी0 लखनऊ	9454418652 fsobkt.lu-up@gov.in	** **
अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन गोमतीनगर लखनऊ	9454418657	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 576 / छ:-पु0- 8-9-02(स्थापना)/07 दिनांक 24.02. 2009 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन गोमतीनगर लखनऊ	0522-2306675 9454418658 fsogom.lu-up@gov.in	** **

अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन सरोजनीनगर लखनऊ	9454418655	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 260 / छः-पु0- 8-08-02(स्थापना) / 07 दिनांक 25.01. 2008 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन सरोजनीनगर लखनऊ	9454418656 fsosaro.lu-up@gov.in	** **
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फायर स्टेशन राजभवन लखनऊ	9454418653	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 1718 (1) / छः-पु0- 8-2006 दिनांक 18.07.2006 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन राजभवन लखनऊ	9454418654	** **
अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, फायर स्टेशन हाईकोर्ट लखनऊ	9454418704	फायर स्टेशन की स्वीकृति शासनादेश संख्या 2733 / छः-पु0- 8-12-801(4) / 2011 दिनांक 12.11. 2012 के द्वारा की जा चुकी है।
फायर स्टेशन हाईकोर्ट लखनऊ	9454418705	** **

3-3-5 कमिश्नरेंट लखनऊ में यातायात नियमों का पर्यवेक्षण पुलिस उपायुक्त यातायात

लखनऊ द्वारा निम्नानुसार किया जाता है।

3-3-5-1 पुलिस कमिश्नरेंट लखनऊ में वाहनो के प्रवेश आदेश

पुलिस उपायुक्त यातायात लखनऊ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ के पत्र सं0-एसटी/एसएसपी0-21/2018/839 दिनांकित 13.02.2018 के माध्यम से जारी यातायात नियम को यथावत लागू किया गया है, जिसका गती आदेश निम्नवत है-

आदेश

जनपद लखनऊ में सार्वजनिक मार्गों पर सुगम यातायात बनाये रखने के निमित्त पुलिस अधी0 1861 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद लखनऊ भारी वाहनो (माल वाहक) के आवागमन/डायवर्जन के सम्बन्ध में निम्नलिखित आवागमन मार्ग निर्धारित करता हूँ।

1. कानपुर रोड से आने वाले भारी माल वाहक जो हरदोई रोड सीतापुर रोड, रायबरेली रोड सुल्तानपुर रोड व फैजाबाद रोड की ओर जाना चाहते हैं, एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, उन सभी वाहनो का संचालन निम्न प्रकार होगा।

आदेश

जनपद लखनऊ में सार्वजनिक मार्गों पर सुगम यातायात बनाये रखने के निमित्त पुलिस अधीन 1861 की धारा 31 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मैं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जनपद लखनऊ भारी वाहनों (माल वाहक)के आवागमन/डायवर्जन के संबंध में निम्नलिखित आवागमन मार्ग निर्धारित करता हूँ।

- 1—कानपुर रोड से आने वाले भारी माल वाहक जो हरदोई रोड, सीतापुर रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड व फैजाबाद रोड की ओर जाना चाहते हैं एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा।

क्र० सं०	डायवर्जन ड्रियूटी स्थल	थाना/जनपद	वाहनों को रोकने के लिए कार्यवाही सम्बन्धित थाना प्रभारी द्वारा	
1	जुनाबगंज कानपुर रोड	कटी बगिया लेखपड़ा चौराहा बुद्धेश्वर चौराहा दुबग्गा चौराहा	बन्धरा (लखनऊ) हसनगंज (उन्नाव) पारा (लखनऊ) काकोरी (लखनऊ)	कानपुर रोड की ओर से हरदोई सीतापुर की ओर जो वाहन जाना चाहते हैं वे भारी माल वाहक वाहन कटी बगिया मोड़ से बाँये हरौनी रेलवे कासिंग (पुलिस चौकी हरौनी), कंजाखेडा, लेखपड़ा चौराहा (थाना हसनगंज जनपद उन्नाव) से दाहिने मोहान रोड होते हुए पुलिस चौकी गुरधरी का तालाब (थाना काकोरी जनपद लखनऊ) से हरदोइया मोड़, फतेहगंज, बुद्धेश्वर चौराहा से बाँये दुबग्गा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
2		बनी मोड़ (जुनाबगंज)	बन्धरा (लखनऊ)	कानपुर रोड से रायबरेली को जाने वाले भारी माल वाहक वाहन बनी मोड़ से एयरफोर्स स्टेशन मेमौरा होते हुये मोहनलालगंज करबा से अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
3		मोहनलालगंज करबा गोसाईगंज मोड़	मोहनलालगंज (लखनऊ)	कानपुर रोड से सुल्तानपुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन बनी मोड़ से एयरफोर्स स्टेशन मेमौरा होते हुये मोहनलालगंज करबा से बाँये मुड़कर मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़ से दाहिने मुड़कर, खुजौली चौराहा, गोसाईगंज करबा, हैदरगढ़ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
4	जुनाबगंज कानपुर रोड	गोसाईगंज करबा मोड़	गोसाईगंज (लखनऊ)	कानपुर रोड से फैजाबाद की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन बनी मोड़ से एयरफोर्स स्टेशन मेमौरा होते हुये मोहनलालगंज करबा से बाँये मुड़कर मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़ से दाहिने मुड़कर, खुजौली चौराहा, गोसाईगंज करबा, हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
5	जुनाबगंज कानपुर रोड	सरोजनी नगर	सरोजनी नगर (लखनऊ)	कानपुर से लखनऊ की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को थाना सरोजनी नगर पर प्रतिबंधित अवधि में रोका जायेगा। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।

2-रायबरेली रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जो कानपुर रोड, हरदोई रोड, सीतापुर रोड, सुल्तानपुर रोड व फैजाबाद रोड की ओर जाना चाहते हैं एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा-

6	मोहन लाल कस्बा रायबरेली रोड	मोहनलालगंज कस्बा पोस्ट ऑफिस तिराहा	मोहनलालगंज (लखनऊ)	रायबरेली रोड से उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन मैमोरा एयरफोर्स स्टेशन, बनी मोड़, से सीधे उन्नाव होकर कानपुर चले जाएंगे एवं सीतापुर, हरदोई की ओर जाने वाले कटी बगिया मोड़ से दाहिने हरौनी पुलिस चौकी(रिलवे कासिंग), कन्जाखेड़ा, लेखपड़ा चौराहा (थाना हसनगंज जनपद उन्नाव) से दाहिने	
		बनी मोड़(जुनाबगंज)	बन्थरा (लखनऊ)		
		कटी बगिया तिराहा	बन्थरा (लखनऊ)		
		लेखपड़ा चौराहा	हसनगंज (उन्नाव)		
		बुद्धेश्वर चौराहा (तिकोनिया)	पारा (लखनऊ)	मोहन रोड होते हुये पुलिस चौकी गुरधरी का तालाब (थाना काकोरी जनपद लखनऊ) से हरदोईया मोड़, फतेहगंज, बुद्धेश्वर चौराहा से बाँये दुबग्गा चौराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगे।	
		दुबग्गा चौराहा	काकोरी (लखनऊ)		
		मोहनलालगंज कस्बा गोसाईगंज मोड़	मोहनलालगंज (लखनऊ)		रायबरेली रोड से सुल्तानपुर, फैजाबाद की ओर जाने वाले भारी मालवाहक वाहनों को मोहनलालगंज कस्बा से सीधे मोहनलालगंज कस्बा गोसाईगंज मोड़ से दाहिने मुड़कर, खुजौली चौराहा, गोसाईगंज कस्बा हैदरगढ़ जनपद बाराबंकी होकर अपने गंतव्य को जा सकेगे।
		गोसाईगंज कस्बा मोड़	गोसाईगंज (लखनऊ)		

3-सुल्तानपुर रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जिन्हें रायबरेली रोड, कानपुर रोड, हरदोई रोड, सीतापुर रोड की ओर जाना है व लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते है, उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा-

8	कस्बा गोसाईगंज सुल्तानपुर रोड	कस्बा गोसाईगंज मोहनलालगंज मोड़	गोसाईगंज (लखनऊ)	सुल्तानपुर रोड से रायबरेली, उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन कस्बा गोसाईगंज, मोहनलालगंज मोड़ से बाँये खुजौली चौराहा, कस्बा मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़ से बाँये मोहनलालगंज पोस्ट आफिस तिराहा से सीधे रायबरेली रोड एवं उन्नाव, कानपुर, हरदोई, सीतापुर रोड की ओर जाने वाले वह मैमोरा एयरफोर्स स्टेशन, बनी मोड़, से सीधे उन्नाव होकर कानपुर चले जायेंगे एवं सीतापुर, हरदोई की ओर जाने वाले कटी बगिया मोड़ से दाहिने हरौनी पुलिस चौकी(रिलवे कासिंग), कन्जाखेड़ा, लेखपड़ा चौराहा (थाना हसनगंज जनपद उन्नाव) से दाहिने मोहन रोड होते हुये पुलिस चौकी गुरधरी का तालाब (थाना काकोरी जनपद लखनऊ) से हरदोईया मोड़, फतेहगंज,
		कस्बा मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		कस्बा मोहनलालगंज पोस्ट ऑफिस तिराहा	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		बनी मोड़ (जुनाबगंज)	बन्थरा	
		कटी बगिया मोड़	बन्थरा	

				बुद्धेश्वर चौराहा से बाँये दुबग्गा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगे।
8	सुल्तानपुर रोड	कस्बा हैदरगंठ पुलिस चौकी चौराहा	कस्बा हैदरगंठ पुलिस चौकी चौराहा (बाराबंकी)	सुल्तानपुर रोड से हरदोई, सीतापुर की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन कस्बा हैदरगंठ पुलिस चौकी चौराहे से दाहिने असन्द्रा थाना भितरिया चौराहे से दाहिने रामसनेही घाट बाईपास तिराहे से बाये 10वीं वाहिनी पीएसी बाई पास तिराहे से दाहिने देवा रोड कुर्सी रोड, महोना, इटौजा मोड, भिठौली नही जाना है, वे वाहन बड़डूपुर, महमूदाबाद, सीतापुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगे।

4-बाराबंकी, फैजाबाद रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन, जो हरदोई रोड, सीतापुर रोड, रायबरेली रोड, कानपुर रोड, की ओर जाना चाहते हैं एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा-

10	देवा रोड बाराबंकी	देवा रोड तिराहा	देवा (चौकी माती) (बाराबंकी)	बाराबंकी, फैजाबाद की ओर से सीतापुर रोड, हरदोई रोड कानपुर रोड, की ओर जाने वाले भारी माल वाहन देवा मोड जनपद बाराबंकी से दाहिने देवा रोड, कुर्सी रोड, महोना, इटौजा मोड, भिठौली मोड होकर अपने गंतव्य को जायेंगे। जिन वाहनो का महोना, इटौजा मोड, भिठौली नही जाना है, वे वाहन बड़डूपुर, महमूदाबाद, सीतापुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगे।
		इटौजा मोड (लखनऊ)	इटौजा (लखनऊ)	
		कुर्सी रोड (लखनऊ)	कुर्सी (बाराबंकी)	
		भिठौली मोड (लखनऊ)	मडियॉव (लखनऊ)	
11	10 वीं वाहिनी पीएसी फैजाबाद रोड	10 वीं वाहिनी पीएसी मोड (बाईपास)	कोतवाली (बाराबंकी)	फैजाबाद रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन 10 वीं वाहिनी पीएसी मोड फैजाबाद रोड से दाहिने देवा रोड, कुर्सी, महोना, इटौजा मोड, भिठौली नही जाना है, वे वाहन बड़डूपुर, महमूदाबाद, सीतापुर होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगे।
12	फैजाबाद रोड	रामसनेही घाट (बाईपास) तिराहा	रामसनेही घाट (बाराबंकी)	फैजाबाद रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन राम सनेही घाट बाईपास तिराहे से बाये कस्बा भितरिया चौराहा से बाये हैदरगंठ कस्बा पुलिस चौकी चौराहा से सीधे रायबरेली तथा दाहिने गंगागंज, कस्बा गोसाइगंज मोड से बाये खुजौली चौराहा मोहनलालगंज कस्बा तिराहा, जुनाबगंज (बनी) होकर अपने गंतव्य को जा सकेगे।

5-सीतापुर रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जिनको बाराबंकी, फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड की ओर जाना है एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा-

13	सीतापुर रोड	इटौजा मोड (लखनऊ)	इटौजा (लखनऊ)	सीतापुर रोड से बाराबंकी, फैजाबाद रोड, सुल्तानपुर रोड की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन इटौजा मोड, महोना, कुर्सी रोड, देवा रोड होते हुये बाराबंकी, फैजाबाद रोड एवं राम सनेही घाट बाईपास
		कुर्सी रोड तिराहा	कुर्सी (बाराबंकी)	

		(बाराबंकी) देवा मोड़ (लखनऊ)	देवा (बाराबंकी)	तिराहे से दाहिने कस्बा भिटरिया चौराहा से बाये हैदरगढ़ कस्बा पुलिस चौकी चौराहा से बाये सुल्तानपुर रोड होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
14	सीतापुर रोड	आइ0आइ0एम (भिठौली) तिराहा	मड़ियाँव (लखनऊ)	सीतापुर रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को भिठौली तिरहो से दुबग्गा पहले प्रतिबंधित अवधि में रोका जायेगा। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
15	बाराबंकी कुर्सी रोड	कुर्सी रोड तिराहा (बाराबंकी)	कुर्सी (बाराबंकी)	बाराबंकी कुर्सी रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को कुर्सी रोड तिराहे से लखनऊ शहर की ओर नहीं आ सकेंगे, बल्कि यह वाहन महोना, इटौजा मोड़ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।

6-सीतापुर रोड से आने वाले भारी मालवाहक वाहन जिनको कानपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली रोड की ओर जाना है एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा-

नोट:-सीतापुर रोड से वे भारी माल वाहक वाहन जिनका गल्ला गण्डी, फलमण्डी, पुरनिया तक आना है, उन्हें मण्डी तक आने दिया जायेगा।

16	सीतापुर रोड	भिठौली तिराहा (लखनऊ)	मड़ियाँव	सीतापुर रोड से हरदोई, उन्नाव, कानपुर, रायबरेली रोड की ओर जाने वाले भारी माल वाहक वाहन भिठौली चौराहे से दुबग्गा तिराहा से हरदोई रोड की ओर मछली मण्डी होकर एवं दुबग्गा पेट्रोल पम्प तिराहा पुलिस पिकेट से बुद्धेश्वर चौराहा से दाहिने मोहान रोड, गुरुधरी चौकी, लेखपड़ा चौराहा से
		दुबग्गा चौराहा (लखनऊ)	काकोरी	
17	हरदोई रोड	बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	सीधे उन्नाव, कानपुर रोड, कन्नौज की ओर जा सकेंगे साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी प्रकार का माल वाहक भार वाहन बुद्धेश्वर चौराहे से चौकी पारा, बाराविरवा की ओर नहीं जायेगा तथा रायबरेली की ओर जाने वाले वाहन बुद्धेश्वर चौराहे से दाहिने लेखपड़ा मोड़ से बाँये कंजाखेडा, हरौनी पुलिस चौकी (रेलवे कासिंग) कटी बगिया, बनी मोड़, मोहनलालगंज कस्बा पोस्ट आफिस होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे।
		लेखपड़ा चौराहा	हसनगंज जनपद , उन्नाव	
		कटी बगिया	बन्धरा (लखनऊ)	
		बनी मोड़(जुनाबगंज)	बन्धरा (लखनऊ)	
18	सीतापुर रोड	भिठौली मोड़	मड़ियाँव (लखनऊ)	सीतापुर रोड से लखनऊ शहर की ओर आने वाले भारी माल वाहक वाहन को भिठौली मोड़ से पहले प्रतिबंधित अवधि में रोका जायेगा। यह वाहन शहर क्षेत्र में प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
19	हरदोई रोड	दुबग्गा तिराहा पेट्रोल पम्प	काकोरी (लखनऊ)	दुबग्गा तिराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र बालागंज की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
20	हरदोई रोड	बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	बुद्धेश्वर चौराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।

7-हरदोई रोड से आने वाले भारी माल वाहक वाहन जिनको रायबरेली, सुल्तानपुर रोड, फैजाबाद रोड की ओर जाना है एवं लखनऊ शहर क्षेत्र में प्रवेश चाहते हैं, उन सभी वाहनों का संचालन निम्न प्रकार होगा-

21	हरदोई रोड	दुबग्गा पेट्रोल पम्प तिराहा	काकोरी (लखनऊ)	हरदोई रोड से आने वाले भारी वाहक वाहन जिनको रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड एवं फैजाबाद रोड की ओर जाना है वे वाहन दुबग्गा पेट्रोल पम्प तिराहा, बुद्धेश्वर चौराहा से दाहिने फतेहगंज, हरदोईया मोड़, पुलिस चौकी गुरुधरी का तालाब, मोहान रोड, लेखपड़ा चौराहा, कन्जाखेड़ा, हरौनी पुलिस चौकी (रेलवे कासिंग) कटी बगिया मोड़, मोहनलालगंज कस्बा पोस्ट ऑफिस तिराहे से दाहिने रायबरेली की ओर जायेगा तथा कस्बा मोहनलालगंज गोसाईगंज मोड़, खुजौली, गोसाईगंज कस्बा से दाहिने सुल्तानपुर रोड एवं फैजाबाद रोड की ओर जायेगा।
		बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	
		बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	
		लेखपड़ा चौराहा	हसनगंज जनपद उन्नाव	
		कटी बगिया मोड़	बन्धरा (लखनऊ)	
		बनी मोड़ (जुनाबगंज)	बन्धरा (लखनऊ)	
		मोहनलालगंज कस्बा पोस्ट ऑफिस तिराहा	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		मोहनलालगंज कस्बा गोसाईगंज मोड़	मोहनलालगंज (लखनऊ)	
		गोसाईगंज कस्बा तिराहा	गोसाईगंज (लखनऊ)	
22	दुबग्गा तिराहा पेट्रोल पम्प	दुबग्गा तिराहा पेट्रोल पम्प	काकोरी (लखनऊ)	दुबग्गा तिराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र बालागंज की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।
23	बुद्धेश्वर चौराहा	बुद्धेश्वर चौराहा	पारा (लखनऊ)	बुद्धेश्वर चौराहे से किसी भी प्रकार का माल वाहक भार वाहन लखनऊ शहर क्षेत्र की ओर प्रतिबंधित समय समाप्ति पर ही प्रवेश पा सकेंगे।

नोट-

1-पेट्रोल टैंकर, शव वाहन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरित होने वाली समग्री (गेहूँ, चावल, दाल, चीनी, पॉमोलिन एवं कैरोसिन) की ढुलाई करने वाले वाहनों को छोड़कर शेष भारी मालवाहनों जिनका सकल यान भार (माल सहित वाहन का अधिकृत वजन) 12000 किग्रा से अधिक हो या ऐसे ट्रैक्टर यों रोड़ रोलर जिनमें से किसी का खाली वजन 12000 किग्रा से अधिक हो का डायवर्जन स्थानों से प्रवेश प्रातः 06.00 बजे से लेकर रात्रि 11.00 बजे तक पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।

2-लखनऊ शहर में कानपुर रोड, रायबरेली रोड, सुल्तानपुर रोड, बाराबंकी रोड, फैजाबाद रोड, सीतापुर रोड, हरदोई रोड, आदि मार्गों से आने वाले भारी माल वाहक वाहनों के संचालन हेतु नो डन्ट्री डायवर्जन स्थान चिन्हित किया गया है। उपरोक्त चिन्हित स्थानों पर प्रातः 6.00 बजे से रात्रि 11.00 बजे तक सम्बन्धित थानों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3-सम्बन्धित क्षेत्राधिकारीगण अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले कोतवाली/थानों के थाना प्रभारियों/थानाध्यक्षों से समन्वय कर सभी डायवर्जन/नो इन्ट्री प्वाइन्ट पर मार्ग संकेतक पर प्रतिबंधित समय का अंकन करते हुये साईन बोर्ड लगवाया जाना सुनिश्चित करायेगें तथा थाना प्रभारियों के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करायेगें की नो-इन्ट्री/डायवर्जन स्थानों से भारी माल वाहनों का प्रवेश राहदारी में प्रवेश न करे तथा सामान्य यातायात को सुगम मार्ग प्राप्त हो सके।

4-यह आदेश दिनांक 14.02.2018 से प्रभावी होगा।

पत्रांक: एसटी/एसएसपी-21/2018/839
दिनांक: फरवरी 13, 2018

(दीपक कुमार)
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
लखनऊ

1/2 लखनऊ कमिश्नरेट लखनऊ में भाहर की यातायात व्यवस्था को सुगम संचालन हेतु लखनऊ भाहर में बढ़ते यातायात दबाव के दृष्टिगत भाहर के 27 मार्गों को एकल दिशा में प्रचलित किया जाता है जिसका विवरण निम्न है।

धारा-31 के तहत प्रचलित एकल दिशा मार्ग का विवरण :-

थाना क्षेत्र क्र.सं.	एकल दिशा मार्ग
1	महानगर/दैनिक जागरण चौराहे की ओर से आने वाला यातायात सिकन्दरबाग चौराहे से सहारागंज (शाहनजफ) तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बाया अशोक मार्ग या दाहिने निशातगंज होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा। यदि किसी को सहारागंज जाना है तो वह संपूर्ण मार्ग होते हुए सहारागंज जा सकेगा।
2	सहारागंज से कोई भी यातायात डनलप तिराहे/एसएसपी आवास/संपूर्ण मार्ग की ओर नहीं जा सकेगा, जबकि यह यातायात सिकन्दरबाग से दाहिने/बाये मुड़कर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
3	डनलप तिराहे/एसएसपी आवास से कोई भी यातायात सेंट फ्रांसिस/बैंक आफ इण्डिया/अल्का तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात सहारागंज (शाहनजफ) तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
4	सेन्ट फ्रांसिस व कैंथडिल स्कूल छूटते समय दो घन्टे के लिए अल्का तिराहा से बैंकऑफ इण्डिया/डनलप तिराहा एक दिशा मार्ग होगा। इस मार्ग पर इस समय अवधि के लिए डनलप तिराहे की ओर से कोई यातायात आना प्रतिबन्धित रहेगा (सुझाव)
5	नवल किशोर रोड, बैंक आफ इण्डिया तिराहा की ओर से अल्का तिराहे पर आने वाला यातायात मेफेयर तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, (सुझाव)
6	बाल्मीकि तिराहे से कोई भी यातायात कैपरो रोड तिराहा की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात मेफेयर तिराहा होकर जा सकेगा।

हजरतगंज	7	लालबाग चौराहे से कोई भी यातायात भंकेयर तिराहे की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात कैपर रोड तिराहा/कैपिटल तिराहा होकर अपने गंतव्य की ओर जा सकेगा।
	8	बैंक ऑफ इण्डिया से कोई भी यातायात नवल किशोर रोड तिराहा/लीला सिनेमा/अशोक मार्ग की ओर नहीं जा सकेगा, बल्कि यह यातायात बैंक ऑफ इण्डिया से डनलप तिराहा सहारागंज तिराहा होकर अपने गंतव्य को जा सकेगा।
	9	डीएम आवास से तुलसी सिनेमा,प्रेस क्लब परिवर्तन चौक की ओर यातायात जा सकता है, परन्तु परिवर्तन चौराहा से डीएम आवास की ओर नहीं आ सकेगा।
	10	हजरतगंज चौराहा से पार्क रोड चौराहा की ओर यातायात जा सकता है, परन्तु सीविल चौराहा से हजरतगंज चौराहा की ओर जाना प्रतिबंधित है। यह यातायात वाया डीएसओ होते हुए अपने गंतव्य को जा सकेगा।
	11	हिन्द सिनेमा की ओर से आने वाला यातायात कैपर रोड तिराहे से लालबाग चौराहे की ओर नहीं आ सकेगा, बल्कि यह यातायात निशात हास्पिटल/हिन्द सिनेमा होकर लालबाग जा सकेगा। (सुझाव)
	12	पार्क रोड/सीविल चौराहा से डीएसओ चौराहे की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है। (सुझाव)
	13	डीएसओ से आने वाला यातायात वाया सिसेण्डी तिराहा रायल होटल चौराहा/लालबहादुर शास्त्री तिराहे की ओर जा सकेगा किन्तु लालबहादुर शास्त्री से आने वाला यातायात वाया सिसेण्डी तिराहा डीएसओ चौराहे की ओर जाना प्रतिबंधित होगा, यह यातायात रायल होटल चौराहा होकर जा सकेगा। रायल होटल से सिसेण्डी की ओर आने वाला यातायात लालबहादुर शास्त्री की ओर नहीं जा सकेगा बल्कि यह यातायात डीएसओ की ओर जा सकेगा। (सुझाव)

कैसरबाग	14	नजीराबाद चौराहा से नाज सिनेमा ख्यालीगंज की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है।
	15	डा0 सूजा रोड तिराहा (सुपर मार्केट) की ओर से रॉयल होटल की तरफ यातायात जा सकेगा, परन्तु इस मार्ग पर आना प्रतिबंधित होगा। (सुझाव)
	16	डा0 सूजा रोड तिराहा (ओडियन) की ओर से वार्लिंगटन चौराहे की ओर यातायात का जाना प्रतिबंधित होगा। (सुझाव)
		कैसरबाग अशोक लाट से हुसैनगंज (वार्लिंगटन) चौराहे की तरफ बड़े वाहन/बसें नहीं जा सकेगें, बल्कि यह वाहन नूरमंजिल रायल होटल होकर अपने गंतव्य का जा सकेगें। (मेट्रो कार्य)
17	कैसरबाग अशोकलाट की तरफ से आने वाले छोटे वाहन बीएन रोड (चर्च) तिराहे से हुसैनगंज (वार्लिंगटन) चौराहे की ओर नहीं जा सकेगें बल्कि यह यातायात अपने बाये मुड़कर नूरमंजिल होकर अपने गंतव्य को जा सकेगें। (सुझाव)	
अमीनाबाद	18	कैसरबाग लाट चौराहा से नजीराबाद चौराहा की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है।
	19	नजीराबाद चौराहा से गुईन रोड चौराहा की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है।
	20	अमीनाबाद चौराहा से पोस्ट आफिस तिराहा की ओर यातायात जा सकता है, किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है।
	21	नजीराबाद चौराहा से झण्डे वाले पार्क तिराहा की ओर यातायात नहीं जा सकेगा, किन्तु यातायात आ सकेगा।
	22	नजीरबाग चौराहे से सुगनामल तिराहे की ओर यातायात जा सकेगा, किन्तु आना प्रतिबंधित होगा।
वजीरगंज	23	बलरामपुर ढाल चौराहे से शहीद स्मारक तिराहे की ओर जा सकेगा किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित है। (हाईकोर्ट व्यवस्था)
हुसैनगंज	24	राणा प्रताप तिराहे से के0के0सी की ओर यातायात जा सकेगा परन्तु इस मार्ग पर आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)
बाजारखाल I	25	टिकैत राय तालाब की ओर यातायात बुलाकी अड्डा तिराहे जा सकेगें, किन्तु आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)
चौक	26	मेडिकल कास(कमला नेहरू कासिंग) चौराहा से चौक चौराहे की ओर यातायात जा सकेगे किन्तु इस मार्ग से आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)
अलीगंज	27	डण्डहिया तिराहे से नीरा नर्सिंग होम तिराहे की ओर यातायात जा सकेगा, किन्तु इस मार्ग पर आना प्रतिबंधित रहेगा। (सुझाव)

3-3-5-2 ekVj ; ku vf/kfu; e ds vUrxRk n. Muh; vij/k/ko
tpekuk&

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या- 10/2020/752/तीस-4-2020/01(सा0)/2017
लखनऊ:दिनांक 30 जुलाई, 2020

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10, सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) की धारा 200 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूच संख्या-14/2019/931/तीस-4-2019/01(सा0)/2017, दिनांक 07 जून, 2019 का अधिक्रमण करके, राज्यपाल निदेश देती हैं कि न अनुसूची के स्तम्भ 1 में उल्लिखित अधिकारी, अनुसूची के स्तम्भ 4 तथा 5 में प्रत्येक के सम्मुख उल्लिखित धनराशि के निमित्त स्तम्भ में उल्लिखित अपराध और स्तम्भ-2 में उल्लिखित धाराओं के अधीन अपराध का शमन कर सकते हैं-

अनुसूची

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 122, 126 के साथ पठित धारा 177 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 130 के साथ पठित धारा 177 केन्द्रीय मोटर यान नियमावली का नियम 15(7) मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के साथ पठित धारा 47 धारा 184क, ख, घ, ड.च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर मोटरयान अधिनियम की धारा 119 के साथ पठित धारा 177 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 6(2) के साथ पठित धारा 177 मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 123 के साथ पठित धारा 177 मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 72 (तेरह)	<u>यातायात सम्बन्धी अपराध</u> 1- पार्किंग नियमों का उल्लंघन 2- मांग किये जाने पर रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट, स्वस्थता प्रमाण-पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (puc) प्रस्तुत करने में विफल होने पर। <u>टिप्पणी:- डिजीलॉकर में इलेक्ट्रानिक प्रारूप में दस्तावेज स्वीकार किये जायेंगे।</u> 3 - 12 माह से अधिक अवधि तक अन्य राज्यों के रजिस्ट्रीकरण चिन्ह का उपयोग करने पर। 4- धारा 184क, ख, घ, ड., च में उल्लिखित अपराधों को छोड़कर ड्राइवर द्वारा बिना किसी संकेत के गली बदलते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन किया जाना। 5- अन्य व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस देने पर <u>यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u> 6- फुट बोर्ड पर यात्रियों के खड़े होने पर <u>वाणिज्यिक यानों से सम्बन्धित अपराध</u>	₹0-500/-	₹0-150

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	<p>के साथ पठित धारा 177</p> <p>उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 28 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 177</p> <p>उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के नियम 166क के साथ पठित धारा 177</p>	<p>7- अनुज्ञेय किराये से अधिक किराया लेने पर</p> <p>8- परिवहन यानों में आवश्यक अपेक्षित सूचना प्रदर्शित न करने पर</p> <p>9- मोटर कैब में किराया मीटर कार्यशील न होने पर।</p> <p>10- मोटर यान अधिनियम या तद्दीन जारी नियमावली, विनियमावली या अधिसूचनाओं के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करने वाले अन्य अपराध जो ऊपर उल्लिखित नहीं है तथा जिनके लिये विनिर्दिष्ट जुर्माना विहित नहीं किया गया है।</p>		
(एक) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन (दो) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	178(1)	<u>मंजिली गाड़ियों में यात्रियों से सम्बन्धित अपराध</u> 1- बिना वैध टिकट या पास के यात्रा करना। 2- मांगने पर पास या टिकट प्रस्तुत न करना।	रु0-500/-	-
-तदेव-	178(2)	<u>मंजिली गाड़ियों में परिचालकों से सम्बन्धित अपराध</u> 1- किराया न लेना या किराया लेने से इंकार करना। 2- टिकट जारी न करना या टिकट जारी करने से इंकार करना। 3- अवैध टिकट देना। 4- कम किराया का टिकट प्रदान करना। 5- टिकट या पास की जांच न करना।	रु0-500/-	-
-तदेव-		यदि ठेका गाड़ी का परमिट धारक या चालक इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी नियमावली		-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
	178(3)(क) 178(3)(ख)	के उपबन्धों का उल्लंघन करके ठेका गाड़ी संचालित करने या यात्रियों को ले जाने से मना करता है:- (क) दो पहिया या तीन पहिया मोटरयानों की दशा में। (ख) यान के किसी अन्य मामले में।	₹0-50/- ₹0-500/-	-
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट	179(1)	प्राधिकारी द्वारा दिये गये किसी विधि सम्मत निदेश का उल्लंघन करना या ऐसी किसी कृत्य का निर्वहन करने में व्यवधान डालना, जिसका निर्वहन करने के लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकारीगण अपेक्षित हों या सशक्त हों	₹0-2000/-	-
-तदैव-	179(2)	इस अधिनियम के अधीन उपलब्ध कराये जाने हेतु अपेक्षित सूचना देने से अस्वीकार करना या मिथ्या सूचना देना जिसे वह सत्य न मानता हो	₹0-2000/-	-
-तदैव-	180	जो कोई, चाहे वह मोटर यान का स्वामी हो या उसका भार साधक व्यक्ति हो, ऐसे किसी अन्य व्यक्ति, जो धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का समाधान नहीं करता है, से यान चलवाता है या उसकी अनुज्ञा देता है	₹0-5000/-	-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-तदैव-	181	धारा 3 या धारा 4 के उपबन्धों का उल्लंघन कर यान चलाने पर।	रु0-5000/-	-
-तदैव-	182(1)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा यान चलाये जाने पर जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरर्ह हो	रु0-10000/-	-
-तदैव-	182(2)	ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा मंजिली गाड़ी के परिचालक के रूप में कार्य करना, जो इस अधिनियम के अधीन लाइसेंस धारित करने या उसे प्राप्त करने के लिए निरर्ह हो	रु0-10000/-	-
(क) अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग	182क(1)	(क) जो कोई, या तो मोटर यानों का विनिर्माणकर्ता, आयातकर्ता या व्यवहारी हो, उक्त अधिनियम के अध्याय-सात और तद्धीन बनायी गयी नियमावली तथा विनियमावली के उपबन्धों का उल्लंघन कर किसी यान का विक्रय करना, परिदान करना, परिवर्तन करना या विक्रय, परिदान अथवा परिवर्तन करने के लिए प्रस्ताव करना (i) विनिर्माणकर्ता (ii) आयातकर्ता (ख) व्यवहारी	रु0-100000/- प्रति वाहन	-
(ख) उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग			रु0-100000/- प्रति वाहन	
उप परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव व विशेष सचिव परिवहन विभाग	182क(3)	जो कोई मोटर यान के ऐसे किसी संघटक, जिसे केन्द्र सरकार द्वारा नाजुक सुरक्षा संघटक के रूप में अधिसूचित किया गया हो और जो अधिनियम के अध्याय-सात या तद्धीन बनायी गयी नियमावली एवं विनियमावली के उपबन्धों के अनुरूप न हो, विक्रय करता है या विक्रय करने का प्रस्ताव करता है या उसके विक्रय की अनुज्ञा प्रदान करता है	रु0-100000/- प्रति संघटक	-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(एक) परिवहन विभाग के पदाधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन	182क(4)	जो कोई मोटर यान का स्वामी होते हुए किसी मोटर यान में ऐसी रीति से परिवर्तन करता है जो इस अधिनियम या तद्दीन बनायी गयी नियमावली और विनियमावली के अधीन अनुज्ञात न हो	रु0-5000/- प्रति परिवर्तन	
अपर परिवहन आयुक्त से अनिम्न एवं प्रमुख सचिव, सचिव एवं विशेष सचिव परिवहन विभाग	182ख	(I) धारा-62क(1) का उल्लंघन ऐसे किसी मोटर यान का रजिस्ट्रीकरण किये जाने पर जिससे यानों की चैड़ाई ऊँचाई लम्बाई और प्रलम्भ एवं वहन किये गये भार के उपबंधों से संबंधित धारा 110 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन होता हो।	रु0-5000/-	रु0-10000/-
-तदैव-	182ख	(II) धारा- 62क(2) का उल्लंघन किसी विहित प्राधिकरण या प्राधिकृत परीक्षण केन्द्र द्वारा उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जारी किये जाने के उपबंधों से संबंधित धारा 118 के अधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर।	रु0-5000/-	रु0-10000/-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस /यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी	183(1)	अधिनियम की धारा 112 में निर्दिष्ट गति सीमाओं का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाने अथवा ऐसे व्यक्ति, जो उसके द्वारा नियोजित हो या उसके नियंत्रणाधीन हो, के द्वारा यान चलवाने पर।	(i) हल्के मोटर यान की दशा में रु0-2000/ (ii) मध्यम/भारी यात्री/माल यान की दशा में रु0-4000/-	अशमनीय

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
(दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के भीतर निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदेव-	केन्द्रीय मोटर यान नियमावली के नियम 21 के साथ पठित धारा 184(ग)	यान चलाते समय हाथ से पकड़े जाने वाले संचार उपकरणों (हैण्ड हेल्ड डिवाइस) का उपयोग करना।	₹0-1000/-	₹0-10000/-
-तदेव-	186	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	₹0-1000/-	₹0-2000/-
-तदेव-	189	यह ज्ञान होते हुये कि वह किसी ऐसे रोग या निःशक्तता से ग्रस्त है जिसके परिणामस्वरूप सार्वजनिक स्थान में उसके द्वारा यान चलाने से साधारण जनता के लिये खतरा संभावित है सार्वजनिक स्थान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान चलाने पर	₹0-5000/-	₹0-10000/-
-तदेव-	190(2)	किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थान में ऐसा मोटर यान चलाने या चलवाने पर जो 1- सड़क सुरक्षा के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन करता हो यथा रेफ्लेक्टर न लगा होना, मानक के अनुसार रेडो रेफ्लेक्टिव टेप न लगा होना, वाणिज्यिक यानों में मानकों के अनुसार स्पीड लिमिट डिवाइस न लगा होना; 2- वायु प्रदूषण के सम्बन्ध में विहित मानकों का उल्लंघन कारक हो; 3- ध्वनि प्रदूषण के सम्बन्ध में	₹0-10000/-	₹0-10000/-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		विहित मानकों का उल्लंघन कारक हो।		
(1) परिवहन विभाग के अधिकारी, यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन (2) पुलिस विभाग के अधिकारी (एक) नागरिक पुलिस / यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र की अधिकारिता के अन्तर्गत निरीक्षक एवं उपनिरीक्षक	मोटर यान अधिनियम की धारा 39 एवं धारा 56 के साथ पठित धारा 192 केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम 51 के साथ पठित धारा 192	(i) रजिस्ट्रीकरण के बिना या निलम्बित या रद्दकृत रजिस्ट्रीकरण के साथ मोटर यान संचालित किये जाने पर	₹0-5000/-	₹0-10000/-
		(ii) वैध उपयुक्तता प्रमाण-पत्र के बिना यान संचालित किये जाने पर।	₹0-5000/-	₹0-10000/-
		(iii) यान में रजिस्ट्रीकरण चिन्ह को विहित रीति से प्रदर्शित न करने पर।	₹0-5000/-	₹0-10000/-
		(iv) अन्य मोटर यान के रजिस्ट्रीकरण संख्या को अपने यान पर प्रदर्शित करने पर।	₹0-5000/-	₹0 10000/-
-तदेव-	मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 66 के साथ पठित धारा-192(क)	जो कोई परमिट के बिना कोई मोटर यान चलाता है या ऐसे मार्ग से सम्बंधित, जिसपर या ऐसे क्षेत्र से सम्बंधित, जिसमें या ऐसे प्रयोजन से सम्बंधित, जिसके लिये यान चलाया जा सकता है, परमिट के किसी शर्त का उल्लंघन करके कोई यान चलवाता है या चलाये जाने की अनुज्ञा प्रदान करता है	₹0-10000/-	₹0-10000/-
परिवहन विभाग के अधिकारी यात्रीकर अधिकारी/ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/ संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणी के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन।	194(1)	अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान चलाये जाने की दशा में :- (क) अधिनियम की धारा 113 और 115 के उपबन्धों का उल्लंघन करके कोई मोटर यान चलाये जाने पर तथा (ख) यदि किसी मोटर यान में अधिक भार हो तो प्रतिटन अधिक भार होने पर।	₹0-20000/- और प्रति टन अधिक भार के लिए ₹0-2000/- अतिरिक्त	

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
-सद्व्य-	194(1क)	जो कोई मोटर यान चलाता है या कोई मोटर यान चलवाता है या चलवाने की अनुज्ञा प्रदान करता है, जब ऐसा मोटर यान इस प्रकार से भारित किया जाय कि भार या उसका आंशिक भाग या बॉडी के पार्श्व भाग या अग्र भाग की तरफ या अनुज्ञेय सीमा से अधिक की ऊँचाई के पृष्ठ भाग की तरफ बाहर निकला होने पर (1) यदि भार कृषि उत्पाद हो (2) कोई अन्य भार	₹0-100/- ₹0-20000/-	-
-सद्व्य-	मोटर यान अधिनियम की धारा 114 के साथ पठित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा-194(2)	धारा 114 के उपबन्धों का उल्लंघन करके यान चलाने या चलवाने या चलाने की अनुज्ञा प्रदान करने पर (इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा तुलवाये जाने का निदेश दिये जाने के पश्चात् तुलवाने हेतु यान को रोकने और प्रस्तुत करने से इनकार किये जाने पर या तुलवाये जाने से पूर्व भार या उसके आंशिक भाग को हटाने या हटवाये जाने पर)	₹0-40000/-	-
(1) परिवहन विभाग के पदधारी यात्रीकर अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/संभागीय परिवहन अधिकारी और उनके श्रेणियों के ऊपर के समस्त अधिकारी एवं प्रमुख सचिव, सचिव तथा विशेष सचिव परिवहन। (2) पुलिस विभाग के पदधारी (एक) नागरिक पुलिस/यातायात पुलिस के राजपत्रित अधिकारी (दो) यातायात पुलिस निरीक्षक/उपनिरीक्षक एवं मुख्य आरक्षी (तीन) नागरिक पुलिस के निरीक्षक और उप निरीक्षक जो अपनी नियुक्ति के थाना क्षेत्र	उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली, 1998 के नियम 135 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194क	रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र अथवा अनुज्ञा-पत्र (में अनुमोदित से) भिन्न यात्री परिवहन यान में अधिक यात्रियों को ले जाने पर।	₹0-200/- प्रति यात्री	-

पदधारि, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
की अधिकारिता में हो, (चार) समस्त कार्यकारी मजिस्ट्रेट				
-तदर्थ-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(1)	यान चलाते समय सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करने में विफल रहने या सुरक्षा बेल्ट न पहनने वाले यात्रियों को ले जाये जाने पर	₹0-1000/-	-
-तदर्थ-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194ख(2)	ऐसे बालक, जो 14 वर्ष की आयु न प्राप्त किया हो तथा सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल सुरक्षा प्रणाली द्वारा सुरक्षित न किया गया हो, के साथ कोई मोटर यान चलाने पर या कोई मोटर यान चलवाने या उसकी अनुज्ञा दिये जाने पर।	₹0-1000/-	-
-तदर्थ-	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-194 ग	जो कोई स्वयं के अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्तियों को वहन करते हुए मोटर साइकिल चलाता है या मोटर साइकिल चलवाता है या उसकी अनुज्ञा प्रदान करता है।	₹0-1000/-	-
-तदर्थ-	केन्द्रीय मोटर यान अधिनियम की धारा 129 एवं उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 121 के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 194 घ	हेलमेट नहीं पहनने के उल्लंघन पर	₹0-1000/-	-
-तदर्थ-	194 ड.	आपात यानों यथा एम्बुलेन्स अग्निशमन यान इत्यादि को अबाध रूप से गुजरने देने में विफल होने पर	₹0-10000/-	-
-तदर्थ-	194 च	जो कोई मोटर यान चलाते समय: 1- सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हार्न अनावश्यक रूप से या निरंतर या आवश्यकता से अधिक बजाता है या 2- निषिद्ध क्षेत्र में हार्न बजाता है या 3- ऐसा मोटर यान चलाता है जिसमें ऐसे कटआउट का उपयोग किया जाता है जिसके द्वारा एकजास्ट गैस साइलेंसर से भिन्न माध्यम से निर्मुक्त किये जाते हैं	₹0-1000/-	₹0-2000/-
-तदर्थ-	196	गैर बीमाकृत यान चलाना या मोटर यान चलाने के लिए अनुज्ञा	₹0-2000/-	₹0-4000/-

पदधारी, जो अपराधों का शमन कर सकते हैं	मोटरयान अधिनियम, 1988 की धाराएँ जिनके अधीन किसी अपराध का शमन किया जाना है	अपराधों का विवरण	शमन शुल्क की धनराशि	
			प्रथम अपराध की दशा में	द्वितीय अथवा अनुवर्ती अपराध की दशा में
1	2	3	4	5
		देना।		
	198	बिना प्राधिकार के यान में अनधिकृत दखल देने या उसमें छेड़छाड़ करने पर।	₹0-1000/-	

आज्ञा से,

(राजेश कुमार सिंह)
प्रमुख सचिवसंख्या -10/2020/752(1)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 30 जुलाई, 2020 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड(क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिवसंख्या -10/2020/752(2)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अधिसूचना के हिन्दी एवं अंग्रेजी आलेख की प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना की हिन्दी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में तथा अंग्रेजी प्रति प्रदेश के 02 अधिकतम प्रसारित अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियाँ शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिवसंख्या -10/2020/752(3)/तीस-4-2020/01(सा0)/2017, तद्दिनांक।

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
 2. सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
 3. अध्यक्ष, स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलैट ट्रिब्यूनल, नलउत्तर प्रदेश, लखनऊ।
 4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, गृह/न्याय/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
 5. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को प्रदेश के 02 प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
 6. संयुक्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
 7. संयुक्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
 8. संयुक्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
 9. विभागीय अनुभाग-1
 10. भाउ फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार)
संयुक्त सचिव

3.3.6 LFkkuh; vfHkl ipuk bldkbZ }kjk fu.kZ; ysus dh i fØ; k:-

3-3-6-1 , Q-vkj-vks %fons' kh i athdj .k vf/kdkjh½ ds | ECU/k e%&

पुलिस कमि"नरेट लखनऊ के एफ0आर0ओ0 पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा हैं। जिनके पास पाक/बंगलादेश व विदेशी नागरिकों के संबंध में अलग-अलग कर्तव्य है।

fons' kh ' kk [kk@fons' kh ukxfj dks ds | ECU/k e%—

जो भारत के नागरिक नहीं है वे सभी विदेशी नागरिक है, पुलिस कमि"नरेट लखनऊ के पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा अन्डरडेलीगेटेड पावरर्स सभी विदेशियों के पंजीकरण एवं वीजा विस्तारण कराते है।

1- पाक शाखा:- पाकिस्तानी नागरिकों के मामले में एफ0आर0ओ0 सिविल ऑथोरिटी के हैसियत से निम्नानुसार कार्य किये जाते हैं

- **पाक नागरिकों के लखनऊ आगमन एवं प्रस्थान:-** पाक नागरिकों को बार्डर से 24 घंटे के अन्दर लखनऊ आगमन करने पर उनकी ऑन लाइन आमद एवं लखनऊ रुकने की निर्धारित अवधि समाप्त होने पर प्रस्थान कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।
- **(पीआरसी)-**पाकिस्तानी ब नागरिकों द्वारा भारत की यात्रा करने हेतु आनलाइन आवेदन किया जाता है। जिसकी बीट प्रभारी द्वारा जांच करवाने के बाद आनलाइन संस्तुति किया जाता है।
- **करतापुर जाँच:-** भारतीय नागरिकों द्वारा पाकिस्तान स्थित करतापुर यात्रा किये जाने हेतु ऑन लाइन आवेदन किये जाते हैं, जिन्हें पुलिस सत्यापन करवाने के बाद ऑन लाइन संस्तुति कर भेजा जाता है।
- **प्रथम एल0टी0वी0—** वैध वीजा पर आये अल्पसंख्यक पाकिस्तानी जो भारत में स्थायी वास चाहते हैं उनके द्वारा दीर्घकालीन वीजा का आनलाइन प्रस्ताव व अन्य वाछिंत प्रपत्र के साथ दिया जाता है जिसे शासन/भारत सरकार के द्वारा स्वीकृत किया जाता है।
- **एल0टी0वी वृद्धि—**जो पाकिस्तानी नागरिक प्रथम एलटीवी स्वीकृत पर भारत लखनऊ में निवास कर रहे है उनकी प्रथम एलटीवी की समय सीमा समाप्त होने के पश्चात अग्रिम दीर्घकालीन वीजा वृद्धि का आनलाइन प्रस्ताव दिया जाता है जिसे नये वीजा नियमों के तहत एफआरओ द्वारा अपने स्तर से आनलाइन वीजा वृद्धि दिये जाने प्राविधान किया गया है।

- **नोरी वीजा**—एसे पाक नागरिक जो एलटीवी पर निवास कर रहे है वह पाकिस्तान की यात्रा करना चाहते है उन्हे एक वर्ष में अधिकतम 90 दिवस का नोरी वीजा दिये जाने का प्रविधान है।(आनलाइन मोड में)
- **नो आब्लिगेशन रिटर्न टू इण्डिया**—जो भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे है उनकी वीजा समाप्त होने पर अग्रिम वीजा बढ़ाने के लिए शासन के माध्यम से आवेदन प्राप्त होता है जिसे थाना/एलआईयू से जांच करवाने एवं भारत में रह रहे उनके माता से अनमत्ति का शपथ पत्र लेकर शासन/जिलाधिकारी को भेजा जाता है।

उल्लेखनीय है कि लखनऊ में पाकिस्तानी नागरिकों के अतिरिक्त अन्य सभी विदेशी नागरिकों के आवागमन/वीजा वृद्धि आदि से सम्बन्धित समस्त कार्यवाही इन्टेलिजेन्स ब्यूरो (आई0बी0) विभाग, भारत सरकार के अधीन नियुक्त क्षेत्रीय वैदेशिक पंजीकरण अधिकारी, लखनऊ (एफ0आर0आर0ओ0) द्वारा सम्पादित किया जाता है।

3.3.6.2 पासपोर्ट शाखा:— वर्तमान समय में लखनऊ में पासपोर्ट आवेदन पत्रों की जाँच कार्यवाही ऑन लाइन कम्प्यूटर के माध्यम से सम्पादित की जा रही है। पासपोर्ट आवेदन पत्रों की जाँच कार्यवाही हेतु कुल 21 दिवस की समयावधि निर्धारित है। आवेदकों द्वारा पासपोर्ट हेतु जमा किये गये आवेदन पत्र के पार्ट—ए सीधे थानों के टेबलेट्स पर एवं पार्ट बी सीधे ऑन लाइन अभिसूचना मुख्यालय, उ0प्र0 लखनऊ को जाँच हेतु जाते हैं। थानों से **एम पासपोर्ट एप** के माध्यम से आख्या अपलोड किये जाने एवं अभिसूचना मुख्यालय से पार्ट—बी भी ऑन अपलोड कर दिये जाने के उपरान्त आख्या अन्तिम रूप से नोडल अधिकारी, पासपोर्ट के माध्यम से ऑन लाइन ही क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी कार्यालय को प्रेषित कर दी जाती हैं। वर्तमान में पासपोर्ट आवेदन पत्रों की स्थानीय अभिसूचना इकाई स्तर से किसी प्रकार की कोई जाँच नहीं की जा रही है।

3.3.7 सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रक्रिया:— लखनऊ महानगरीय क्षेत्र में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के उपरान्त सुरक्षा व्यवस्था के सम्बन्ध में कार्यवाही निम्नानुसार की जाती है।

सुरक्षा के सम्बन्ध में आवेदन पत्र प्राप्त होने पर स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा बीट स्टाफ के माध्यम से निर्धारित प्रारूप एवं बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त कर सुरक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पुलिस उपाधीक्षक, प्रज्ञान एवं पुलिस उपायुक्त, अभिसूचना एवं सुरक्षा लखनऊ महोदय द्वारा समिति हेतु तैयार आख्या पर संयुक्त हस्ताक्षर के उपरान्त पत्रावली अनुमोदन हेतु उच्चाधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। तदोपरान्त समिति द्वारा लिये निर्णय के अनुरूप सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने अथवा न कराये जाने के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये जाते हैं।

3.3.7.1 सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी मानक:— शासनादेश में निहित प्राविधानों के अनुसार विभिन्न महानुभावों को सुरक्षा प्रदत्त कराये जाने का विवरण निर्धारित प्रारूप में निम्नवत है।

श्रेणी	सुरक्षा का स्तर/व्यय भार का प्रतिशत
मा0 सांसद/विधायक	एक गनर निःशुल्क एवं औचित्य पाये जाने पर 01 अतिरिक्त गनर (अर्थात् दूसरा) निःशुल्क तथा पुनः औचित्य पाये जाने पर तीसरा सुरक्षाकर्मी 25 प्रतिशत निजी व्यय पर, चौथा सुरक्षाकर्मी 75 प्रतिशत निजी व्यय पर या उच्च स्तरीय समिति के निर्णयानुसार उससे अधिक निजी व्यय पर, पाँचवां या उससे अधिक सुरक्षाकर्मी 100 प्रतिशत निजी व्यय पर दिया जायेगा।
जिला पंचायत अध्यक्ष	जिला पंचायत अध्यक्ष को एक सुरक्षाकर्मी शासकीय व्यय पर दिया जायेगा।
निवर्तमान सांसद/विधायक	औचित्य पाये जाने पर एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय अथवा उच्च स्तरीय समिति द्वारा निर्धारित व्ययभार के अनुसार अथवा उच्च स्तरीय समिति के विवेकानुसार निःशुल्क प्रदान किया जायेगा।
प्रदेश स्तर पर पंजीकृत/मान्यता प्राप्त राजनैतिक पार्टियों के अध्यक्ष	औचित्य पाये जाने एक सुरक्षाकर्मी 10 प्रतिशत निजी व्यय पर दिये जायेगा।
जघन्य अपराध के वादी/पैरोकार/गवाह	औचित्य पाये जाने पर सुरक्षा की सामान्य व्यवस्था की जायेगी। व्यय का निर्धारण जनपदीय सुरक्षा समिति/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।
अन्य किसी व्यक्ति को	औचित्य पाये जाने पर आवश्यकतानुसार निजी व्यय पर सुरक्षा प्रदान की जायेगी। निजी व्यय का निर्धारण जिला/मण्डलीय/उच्च स्तरीय सुरक्षा समिति के निर्णयानुसार किया जायेगा।

उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-82 आर0आई0/छः-पु-4-2006 दिनांक: 10-7-2006 में निहित प्राविधानों के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग के अधीन अभिसूचना शाखा, सुरक्षा शाखा, विशेष कार्यबल एवं प्रान्तीय सशस्त्र पुलिस शाखाओं तथा उनसे सम्बद्ध इकाईयों को उक्त अधिनियम की परिधि से अपवर्जित किया गया है।

3-3-8 'KL= ykbl \$l l l rfr fd; s tkus dh i f0; k:-

001 0	dk; l	fdl ds Lrj l s dk; bkggh vi f{kr
1	जिलाधिकारी कार्यालय से शस्त्र प्रार्थना पत्र की प्राप्ति	वाचक कार्यालय पुलिस आयुक्त लखनऊ
2	संबंधित थाने को अपराधिक इतिहास व आमशोहरत तथा सत्यापन हेतु भेजा जाना	सम्बन्धित जोन के पुलिस उपायुक्त कार्यालय में
3	सम्बन्धित थानों द्वारा डीसीआरबी को जनपद में किये गये अपराध के संबंध में जांच किया जाना	प्रभारी डीसीआरबी
4	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा जांच किया जाना	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त
5	सम्बन्धित अपर पुलिस उपायुक्त द्वारा जांच किया जाना	सम्बन्धित अपर पुलिस उपायुक्त
6	जिलाधिकारी कार्यालय को लाइसेन्स प्रार्थना पत्र संस्तुति/असंस्तुति सहित भेजा जाना	सम्बन्धित जोन के पुलिस उपायुक्त

शस्त्र लाइसेंस के नवीनीकरण के लिये आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र दिया जाता है, तो थानाध्यक्ष की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण किया जाता है। यह प्रत्येक 3 वर्ष की अवधि के पश्चात अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

3-3-9 fofHklu i xkj ds pfj = i xk.k i = fuxr fd; s tkus dh i f0; k:-

3-3-9-1 i kboV oj hfQds' ku

00 1 0	dk; l	fdl ds Lrj l s dk; bkggh vi f{kr	l e; vof/k
1	आवेदक द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित 20 रु0 शुल्क के रूप जमा कराया जाना	आवेदक द्वारा रु0 20/- चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में स्वयं 0055 पुलिस हैड में जमा कराया जाता है	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	1 दिवस
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	06 दिवस मे
5	एल0आई0यू0/डी0सी0आर0बी0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0/सम्बन्धित थाने के सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	06 दिवस में
6	चरित्र सत्यापन निर्गत किया जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	01 दिवस में

3-3-9-2 ifyl oj hfQds' ku%&

Ø0 1 0	dk; l	fdl ds Lrj l s dk; bkg h vi f{kr	l e; vof/k
1	पुलिस विभाग में चयनित पुलिस कर्मियों के सत्यापन पुलिस कर्मों के नियुक्ति स्थल से कर्मों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3-3-9-3 l fo l oj hfQds' ku%&

Ø0 1 0	dk; l	fdl ds Lrj l s dk; bkg h vi f{kr	l e; vof/k
1	सरकारी विभाग में चयनित सरकारी कर्मियों के सत्यापन सरकारी कर्मों के नियुक्ति स्थल से कर्मों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधान लिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ0नि0 द्वारा	03 दिवस में
4	एल0आई0यू0 द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल0आई0यू0 द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3-3-9-4 feyhVh l fo l oj hfQds' ku%&

Ø0 1 0	dk; l	fdl ds Lrj l s dk; bkg h vi f{kr	l e; vof/k
1	मिलेट्री विभाग में चयनित सैन्य कर्मियों के सत्यापन सैन्य कर्मों के नियुक्ति स्थल से कर्मों के मूल निवास स्थल के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्राप्त होना	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में

2	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	तत्काल
3	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	03 दिवस में
4	एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल०आई०यू० द्वारा	03 दिवस में
5	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

3-3-9-5 Bsdnkj h ojh fQd's ku%&

00 10	dk; l	fdl ds Lrj l s dk; bkg h vi f{kr	l e; vof/k
1	जिलाधिकारी कार्यालय से आवेदन पत्र मय शपथ-पत्र के पुलिस कार्यालय में प्राप्त	प्रधानलिपिक द्वारा	कार्यालय अवधि में
2	चरित्र प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित रू० 20/- शुल्क के रूप में जमा कराया जाना	आवेदक द्वारा रू० 20/- चालान द्वारा भारतीय स्टेट बैंक में स्वयं 0055 पुलिस हैड में जमा कराया जाता है	अविलम्ब
3	चरित्र सत्यापन हेतु संबंधित थाने को जांच हेतु भेजना	कार्यालय के संबंधित लिपिक द्वारा	अविलम्ब
4	संबंधित थाने द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	संबंधित थानाध्यक्ष / उ०नि० द्वारा	07 दिवस में
5	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्तद्वारा सत्यापन को संस्तुति / असंस्तुति करना	संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त द्वारा	07 दिवस में
6	एल०आई०यू० द्वारा जांच व सत्यापन किया जाना	सहायक पुलिस आयुक्त एल०आई०यू० द्वारा	07 दिवस में
7	चरित्र सत्यापन संबंधित जनपद को भेजा जाना	निमित्त राजपत्रित अधिकारी द्वारा	अविलम्ब

4 drD; ds l E i knu grq vi uk; s tkus okys eki n. M%&

4.1 tuin Lrj ij fofHkUu i xkj dh tkpka ds fy, fu/kkFjr fd; s x; s eki n. M:—

0010	dk; l	dk; bkg h grq fu/kkFjr eki n. M
1	अनुसंधान / विवेचना	दण्ड प्रक्रिया संहिता एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्धारित समयावधि में
2	थानों पर प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	07 दिवस
3	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को डाक से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जांच करके आवश्यक कार्यवाही करना	15 दिवस

4	वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को विभिन्न स्तरों से प्राप्त प्रार्थना पत्रों की जाँच करके आवश्यक कार्यवाही करना	12 दिवस
5	फायर सर्विस ईकाई द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण	15 दिवस
6	पासपोर्ट की जाँच	उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 616भा/छ: वीजा अनुभाग -4 -2005 - 17/2/ 64/99 दिनांक 21-10-2005 के अनुसार 20 दिवस में
7	शस्त्र लाइसेन्स की संस्तुति किया जाना	30 दिवस
8	प्राइवेट वेरीफिकेशन	14 दिवस
9	पुलिस वेरीफिकेशन	06 दिवस
10	सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
11	मिलीट्री सर्विस वेरीफिकेशन	06 दिवस
12	ठेकेदारी वेरीफिकेशन	21 दिवस

4.2 ifyl vkpj .k ds fl }kUr:-

- 1-भारतीय संविधान में पुलिस जन की सम्पूर्ण निष्ठा व संविधान द्वारा नागरिकों को दिए गये पूर्ण सम्मान करना।
- 2-बिना किसी भय पक्षपात अथवा प्रतिशोध की भावना के समस्त कानूनों का दृढ़ता व निष्पक्षता से निष्पादन करना।
- 3-पुलिस जन को अपने अधिकारों तथा कर्तव्यों की परिसीमाओं पर पूरा नियंत्रण रखना।
- 4-कानून का पालन कराने अथवा व्यवस्था बनाये रखने के काम में जहाँ तक सम्भव हो समझाने बुझाने का प्रयास यदि बल प्रयोग करना अनिवार्य हो तो कम से कम बल प्रयोग करना।
- 5-पुलिस जन का मुख्य कर्तव्य अपराध तथा अव्यवस्था को रोकना।
- 6-पुलिस जन को यह ध्यान में रखना कि वह जनसाधारण का ही अंग है तथा वे वही कर्तव्य कर रहे हैं जिनकी विधान ने समान नागरिकों से अपेक्षा की है।
- 7-प्रत्येक पुलिस जन को यह स्वीकार करना चाहिए कि उनकी सफलता पूरी तरह से नागरिक सहयोग पर आधारित है।
- 8-पुलिस जन को नागरिकों के कल्याण का ध्यान उनके प्रति सहानुभूति व सदभाव हृदय में रखना।
- 9-प्रत्येक पुलिस जन विषम परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन बनाये रखना और दूसरों की सुरक्षा हेतु अपने प्राणों तक को उत्सर्ग करने के लिए तत्पर रहना।
- 10-हृदय से विशिष्टता, विश्वसनीयता, निष्पक्षता, आत्मगौरव व साहस से जनसाधारण का विश्वास जीतना।
- 11-पुलिस जन को व्यक्तिगत तथा प्रशासनिक जीवन में विचार, वाणी व कर्म में सत्यशीलता व ईमानदारी बनाये रखना।
- 12-पुलिस जन को उच्चकोटि का अनुशासन रखते हुए कर्तव्य का विधान अनुकूल सम्पादन करना।
- 13-सर्वधर्म सम्भाव एवं लोक तांत्रिक राज्य के पुलिस जन होने के नाते समस्त जनता में सोहार्द व भाई चारे की भावना जागृत करने हेतु सतत प्रयत्नशील रहना।

5- drD; k ds fuekZ k gsrq vi uk; s tkus okys fu; e] fofu; e] fun' k] fun' kdk o vfHkys[k Ø0l 0 vf/kfu; e] fu; e j'; ys' ku dk uke%&

- 1 पुलिस अधिनियम 1861
- 2 भारतीय दण्ड संहिता 1861
- 3 दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973
- 4 उत्तर प्रदेश पुलिस रेग्युलेशन 1861
- 5 उत्तर प्रदेश पुलिस कार्यालय मैनुअल 1861
- 6 साक्ष्य अधिनियम 1872
- 7 आर्म्स एक्ट 1959
- 8 सिविल अधिकार संरक्षण अधि01955
- 9 अनु0जाति व अनु0जनजाति0 अधिनियम 1989
- 10 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधि0 1949
- 11 आवश्यक वस्तु अधि0 1955(उ0प्र0संशोधन अधि01978)
- 12 चोर बाजारी नि0 और आवश्यक वस्तु प्रद्य अधि0 1980
- 13 खाद्य अपमिश्रण नि0 अधि0 1954
- 14 उपभोक्ता संरक्षण अधि0 1986
- 15 पशु अतिचार अधि0 1861
- 16 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988
- 17 बन्दी अधिनियम 1900
- 18 सर्वाजनिक जुआ अधिनियम 1867
- 19 किशोर न्याय अधिनियम 1986
- 20 दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- 21 राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980
- 22 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985
- 23 स्वापक औषधि और मना प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम 1988
- 24 बन्दियों की शिनाख्त अधिनियम 1930
- 25 लोक सम्पत्ति नुकसान निवारण अधिनियम 1980
- 26 विस्फोटक अधिनियम 1884
- 27 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908
- 28 कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम 1984
- 29 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958
- 30 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम 1956
- 31 महिलाओं का अशिष्ट रूपण प्रतिशेघ अधिनियम 1986
- 32 भारतीय वन अधिनियम 1927
- 33 वन संरक्षण अधिनियम 1980
- 34 विधि विरुद्ध क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 2004
- 35 बन्दी न्यायालयों में उपस्थिति अधिनियम 1955
- 36 विष अधिनियम 1919

- 37 मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993
- 38 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग प्रकिया विनयम 1994
- 39 रेल अधिनियम 1989
- 40 रेलवे सुरक्षा बल अधिनियम 1957
- 41 रेल सम्पत्ति (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1966
- 42 पुलिस बल (अधिकारों पर निर्बन्धन) अधिनियम 1966
- 43 पुलिस द्रोह उद्दीपन अधिनियम 1922
- 44 राज्य सशस्त्र पुलिस बलों (कानूनों का विस्तार) अधिनियम 1952
- 45 केबिल दूरदर्शन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995
- 46 ब्याज अधिनियम 1978
- 47 उ० प्र० गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप अधिनियम 1986
- 48 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970
- 49 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग 1999
- 50 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियन्त्रण नियमावली 1970
- 51 उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम 1976
- 52 उत्तर प्रदेश प्रादेशिक सशस्त्र आरक्षक वर्ग अधिनियम 1948
- 53 उत्तर प्रदेश डकैती प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1983
- 54 उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो सेवा नियमावली 1979
- 55 उत्तर प्रदेश अग्नि शमन सेवा अधिनियम 1944
- 56 उ०प्रदेश अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारी (दण्ड एवं अपील) 1991
- 57 उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक(अनुशासन और अपील नियमावली) 1999
- 58 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955
- 59 उत्तर प्रदेश गोवध निवारण नियामावली 1964
- 60 उत्तर प्रदेश गोशाला अधिनियम 1964
- 61 उत्तर प्रदेश गोशाला नियमावली 1964
- 62 उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग अधिनियम 1994
- 63 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
- 64 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
- 65 वित्तीय हस्त पुस्तिका
- 66 समय-समय पर निर्गत शासनादेश
- 67 उच्चाधिकारियों द्वारा निर्गत परिपत्र व अन्य निर्देश

इसके अतिरिक्त तत् समय प्रचलित अन्य विधियां भी पुलिस कार्य प्रणाली को सशक्त एवं विनियमित करती है।

5- foHkkx }kj k j [ks tkus okys vfHkys[kk dh Js kh:-

6-1 fofHkUu Fkkuka o vU; dk; kZy; ka j [ks tkus okys vfHkys[k:-

001 0	vfHkys[k dh i dfr	mi yC/k l upuk dk fooj .k	bdkbk@'kk[kk tgkW mi yC/k gkxh	vof/k dc rd mi yC/k jgxxh
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	अपराधो के संबंध में दी	सभी पुलिस थानो	तीन साल

		गई सूचनाएं एवं विवेचक के संबंध में	पर	
2	दैनिकी सामान्य	सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी पुलिस अधि०/कर्मचारीगण की रवानगी वापसी ड्यूटी का विवरण	सभी पुलिस थानों व पुलिस लाइन में	एक साल थाने पर उसके बाद 5 साल तक पुलिस कार्यालय के रिकार्ड रूम में
3	सभी स्टैण्डिंग आर्डर	पुलिस मुख्यालय द्वारा पुलिस अधि०/कर्मचारी दिये गये निर्देशों का विवरण	सभी शाखा व थानों पर	स्थायी रूप से रख जाएगा राजपत्रित अधि०के आदेश पर ही नष्ट होगी
4	भगोड़ा(मफरूर) रजिस्टर	सभी फरार अपराधियों का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी
5	रोकड़ बही	धनराशि की आमद व खर्च का विवरण	सभी थाने/ पुलिस लाइन में	एक वर्ष थाना इकाई उसके बाद 9 वर्ष तक पुलिस आफिस रिकार्ड रूम में
6	आरोप पत्र	अभियोगों में प्रेषित पुलिस रिपोर्ट	सभी पुलिस थाने पर	एक साल
7	चिक खुराक	अभियुक्तों के भोजन व्यय किराया व्यय आदि की प्रतिपूर्ति है	सभी थाने पर	तीन साल
8	356 द०प्र०सं० के अधीन दोष सिद्ध अपराधी रजिस्टर	उक्त नियमानुसार दोष सिद्ध अपराधियों का विवरण	..	जब सभी कैदियों की अवधि समाप्त हो चुकी हो
9	432 द०प्र०सं० के अधीन सशर्त मुक्त किये गये कैदी रिकार्ड रजिस्टर
10	गोपनीय सप्ताहिक रिपोर्ट	थानाक्षेत्र की साम्प्रदायिक राजनैतिक व अन्य गतिविधियों की गोपनीय सूचना	..	एक साल
11	अपराध रजिस्टर	थानाक्षेत्र में हुए अपराधिक घटनाओं का विवरण	सभी थाने पर	पांच साल
12	चौकीदारो का अपराध नोट बुक	चौकीदारके ग्राम में घटित घटनाओं का विवरण	सूची चौकीदारो के पास	चौकीदार को जबतक नई नोट बुक प्रदान न की जाए
13	ग्राम अपराध रजिस्टर (रजिस्टर न० 8)	उस गांव में घटित होने वाले अपराध का विवरण	सभी थानों पर	स्थायी रूप में
14	डिफाल्टर रजिस्टर	कर्मचारी की त्रुटि व उसके लिए दी गई हिदायत का अल्लेख	सभी थानों/ पुलिस लाइन में	एक साल पूर्ण होने के बाद
15	केस डायरी	विवेचना में कृत कार्यवाही का विवरण	सभी थानों/ विवेचको के पास	पांच साल
16	अंतिम रिपोर्ट	अभियोग में विवेचनोपरांत प्रेषित रिपोर्ट	सभी थानों पर	एक साल
17	अगुष्ट छाप रजिस्टर	अपराधियों का नाम पता जिसका अगुष्टछाप लिया गया है।	सभी थाने पर	स्थायी रूप में
18	चिक गैरदस्तन्दाजी	अहस्तक्षेपीय अपराधों की सूचक	..	तीन साल

19	गिरोह रजिस्टर	पंजीकृत गैगो का विवरण	सभी थाने पर व डीसीआरबी में	पूर्ण होने के पांच साल तक
20	मरम्मत रजिस्टर	मरम्मत के लिये प्राप्त धन व उसके व्यय का विवरण	सभी थानों पर	दो साल
21	जांचोपरान्त 'अ'	थानाक्षेत्र के दुराचारियों के बाहर जाने पर जारी किया जाने वाला पत्र	..	तीन साल
22	जांच पर्ची 'ब'	थानाक्षेत्र में मिलने वाले संदिग्ध आचरण के व्यक्तियों के लिये जारी पत्र
23	सूची हिस्ट्रीशीट	दुराचारियों का विवरण	..	स्थायी रूप से
24	पंचायतनामा जिल्द	अस्वाभाविक मृत्यु की जांच का विवरण	सभी थानों पर	एक साल
25	निरीक्षण पुस्तिका	निरीक्षण का विवरण	सभी थानों पर व शाखाओं में	पांच साल
26	माल मसरूका रजिस्टर	चोरी/लूटी गई एवं बरामद सम्पत्ति का विवरण	सभी थानों पर	पांच साल
27	रिमाण्डशीट पु0प्रपत्र	अभियुक्तों को रिमाण्ड के लिए अनुरोध पत्र	सभी थानों पर	एक साल
28	मजिस्ट्रेटों के लिए निरीक्षण पुस्तिका	मजिस्ट्रेटों के द्वारा निरीक्षण के दौरान उल्लेख	सभी थाने पर	पूर्णता से 5 साल तक
29	109 धारा के अन्तर्गत कार्यवाही	संदिग्ध अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु	..	दो वर्ष
30	110 सीआरपीसी के अन्तर्गत कार्यवाही	अभ्यस्त अपराधियों को पाबन्द कराने हेतु
31	थानाध्यक्ष की गोपनीय पुस्तिका	क्षेत्र की गोपनीय अभिसूचनायें	..	स्थायी
32	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सभी कार्यालयों में	किसी राजपत्रित अधिकारी के नष्ट किये जाने के आदेश तक
33	परिपत्र अनुदेशों की फाइल	परिपत्रों संबंधी निर्देश
34	अपराधी जनजातियों का रजिस्टर	अपराधियों जनजातियों के संबंध में	समस्त थानों पर	उनके मृत्यु तक
35	सक्रिय अपराधी रजिस्टर	सहायक पुलिस आयुक्तद्वारा अनुमोदित क्षेत्र के सक्रिय अपराधों की सूची	..	निगरानी उचित समझे जाने तक
36	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	..	5 वर्षों तक
37	आर्डर बुक न्यायालय	कोर्ट प्रोसीजर की सूची	..	5 वर्षों तक
38	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	..	5 वर्षों तक
39	भवन रजिस्टर	थाने की खसरा खतौनी व भवनों के संबंध में।	..	स्थायी
40	गुमशुदगी रजिस्टर	गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में।	..	स्थायी
41	गिरफ्तारी रजिस्टर	गिरफ्तार व्यक्तियों के संबंध में सूचना	..	5 वर्षों तक
42	जमानत रजिस्टर	दी जाने वाली जमानतों	..	5 वर्षों तक

		का विवरण		
43	काज लिस्ट रजिस्टर	न्यायालय द्वारा अभियोजन की तिथियों व कार्यवाही का विवरण	..	5 वर्षों तक
44	जनशिकायत रजिस्टर	थाना कार्यालय/अन्य कार्यालय में प्राप्त शिकायती प्रार्थना पत्र	समस्त थानों/कार्यालय में	2 वर्षों तक
45	किरायेदार सत्यापन रजिस्टर	क्षेत्र के किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में	समस्त थानों पर	स्थायी
46	नियुक्ति रजिस्टर	थाने पर नियुक्त रहे कर्मचारियों के संबंध में	..	स्थायी
47	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	समस्त कार्यालयों में	1 वर्ष तक

6.2 विवरण के अनुसार निम्नलिखित सूची में सूचीबद्ध है:-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	विवरण
1	अपराध रजिस्टर	सर्किल में पंजीकृत अभियोगों व केस डायरियों का संक्षिप्त विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
2	जेड रजिस्टर	केस डायरियों को न्यायालय भेजने के दिनांक सहित संक्षिप्त विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	स्थायी
3	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
5	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
6	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
7	विशेष अपराध पत्रावलियाँ	विशेष अपराधों का विवरण	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	स्थायी
8	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.3 निम्नलिखित सूची में सूचीबद्ध है:-

क्र.सं.	विवरण	स्थान	सहायक पुलिस आयुक्त कार्यालय में	विवरण
1				

0				
1	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
2	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
3	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
5	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
6	जाँच पत्रावलियाँ	शिकायतों की जाँच के संबंध में	अपर पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक

6.4 ifyl mik; PRk Lrj ij j [ks tkus okys vfhkys[k:—

0 1 0	vfhkys[k dh idfr	mi yC/k l ipuk dk foj . k	bdkbk@'kk[kk t gkll mi yC/k gkxh	vof/k dc rd mi yC/k j gkxh
1	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	राजपत्रित अधिकारियों के गोपनीय सेवा अभिलेख	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
2	हिस्ट्रीशीट इन्डेक्स	जनपद के दुराचारियों का विवरण	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
3	पुरस्कार रजिस्टर	जनपद के पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों की सूची	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
4	आर्डर बुक प्रार्थना पत्र	प्रार्थना पत्रों की सूची	शिकायत प्रकोष्ठ कार्यालय में	05 वर्ष तक
5	परिपत्र सूचनाओं की फाइल	समस्त परिपत्र	प्रधान लिपिक कार्यालय	अधिकारी द्वारा नष्ट किये जाने के आदेश तक
6	आर्डर बुक शस्त्र प्रार्थना पत्र	प्राप्त शस्त्र प्रार्थना पत्रों की सूची	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	05 वर्ष तक
7	अवकाश रजिस्टर	आकस्मिक अवकाशों का विवरण	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	01 वर्ष तक
8	नियुक्ति रजिस्टर	क्षेत्र के थानों पर नियुक्त कर्मचारियों के संबंध में	वाचक पुलिस उपायुक्त कार्यालय में	स्थायी
9	सर्विस बुक / चरित्र पंजिका	समस्त रैंकों के कर्मचारियों के सेवा इतिहास	प्रधान लिपिक कार्यालय	स्थायी
10	कैश बुक / पे-बिल रजिस्टर	समस्त भुगतानों के लेन-देन के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
11	आकस्मिकता निधि रजिस्टर	आकस्मिकता निधि पर भारित व्ययों के संबंध में	आंकिक शाखा	स्थायी
12	स्टाक रजिस्टर	सामान्य भण्डार की मदों का क्रय व वितरण	पुलिस लाइन	स्थायी
13	हिन्दी आदेश पुस्तिका	समस्त आदेश जिनका प्रभाव वित्तीय भार पर पड़ता है	पुलिस लाइन	40 वर्षों तक

7. turk dh ijke' kZ nk=h l fefr; kW-

जनपदीय पुलिस में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर निति निर्धारण में विचार हेतु निम्नलिखित व्यवस्था विद्यमान है-

001 0	l fefr dk uke	l fefr dk xBu	Hkfedk , oa nkf; Ro	xkf"B; ka dh vkofRr
1	ग्राम सुरक्षा समिति	प्रत्येक गांव में 15 से 20 व्यक्तियों की समिति थानाध्यक्ष द्वारा गठित की जाती है	गांव में घटित होने वाले अपराध एवं अपराधियों की सूचना पुलिस को देना व अपराधियों से मुकाबला करना	समय-समय पर
2	पुलिस पेन्शनर्स बोर्ड	जनपद के पुलिस पेशनर्स के द्वारा गठित होती है	पुलिस पेन्शनर्स के कल्याण हेतु पैरवी करना	त्रैमासिक
3	उद्योग बन्धु	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जनपद के उद्यमियों की बैठक	उद्योगों के विकास में आने वाली कानून व्यवस्था की समस्या के समाधान हेतु	त्रैमासिक
4	जिला सड़क सुरक्षा समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों की समिति	दुर्घटनाओं के निवारण हेतु	त्रैमासिक
5	जिला स्तरीय पत्रकार समिति	जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपद के पत्रकारों की समिति	पत्रकारों की पुलिस से संबंधित समस्याओं के निराकरण हेतु	त्रैमासिक
6	शांति समिति	क्षेत्र के सम्भ्रान्त नागरिकों की समिति	सम्प्रदायिक सदभाव बनाये रखने हेतु	आवश्यकतानुसार
7	मेला समिति	मेले से संबंधित सम्भ्रान्त व्यक्तियों की समिति	प्रमुख मेलों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु	मेले के आयोजन से पूर्व
8	सांसद/विधायकगण की गोष्ठी	समस्त सांसद व विधायकगण की गोष्ठी	शिकायतों के निस्तारण व सुझाव/ परामर्श के लिये	मासिक

8- ckMk i fj "knkj l fefr; ka vkj vU; fudk; %&

9- पुलिस संगठन में इस प्रकार की कोई व्यवस्था प्रचलित नहीं है।

10. vf/kdkfj; ka rFkk dehpkfj; ka dh VsyhQksu Mk; j DVh%&

पुलिस कमि"नरेट लखनऊ के पुलिस अधिकारियों के टेलीफोन/सी0यू0जी0 नम्बर:-

001 0	i n uke	fuokl dk	dk; kly; dk	ekckbly uEcj	l h0; 0th0 ekckbly uEcj
		VsyhQksu uEcj	VsyhQksu uEcj	0; fDrxr	

1	पुलिस आयुक्त, लखनऊ	0522-2625983 0522-2625984	0522-2628965	—	9454400137
2	संयुक्त पुलिस आयुक्त एल0ओ0	—	0522-2628965	—	9454400154
3	संयुक्त पुलिस आयुक्त अपराध एवं मुख्यालय	—	—	—	9454400476
4	पुलिस उपायुक्त पूर्वी	—	—	—	9454400499
5.	पुलिस उपायुक्त पश्चिमी	—	—	—	9454400509
6	पुलिस उपायुक्त मध्य	—	—	—	9454400516
7	पुलिस उपायुक्त उत्तरी	—	—	—	9454400489
8	पुलिस उपायुक्त दक्षिणी	—	—	—	9454400494
9	पुलिस उपायुक्त अपराध	—	—	—	9454400523
10	पुलिस उपायुक्त महिला अपराध	—	—	—	9454400534
11	पुलिस उपायुक्त यातायात	—	—	—	9454400517
12	पुलिस उपायुक्त मुख्यालय	—	—	—	9454400531 9454492500
13	पुलिस उपायुक्त अभिसूचना एवं सुरक्षा	—	—	—	9454400532 9412579259
14	अपर पुलिस अधीक्षक प्रोटोकाल लखनऊ	—	—	—	9454401084
15	अपर पुलिस उपायुक्त, विधानसभा सचिवालय सुरक्षा लखनऊ	—	—	—	9454401503
16	अपर पुलिस उपायुक्त हाईकोर्ट सुरक्षा	—	—	—	9454458186
17	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पूर्वी	—	—	—	9454458038
18	अपर पुलिस उपायुक्त नगर पश्चिमी	—	—	9628901109	9454401088
19	अपर पुलिस उपायुक्त नगर मध्य	—	—	9793391112	9454401087
20	अपर पुलिस उपायुक्त नगर उत्तरी	—	—	9412840688	9454401086
21	अपर पुलिस उपायुक्त अपराध	—	—	—	9454401089
22	अपर पुलिस उपायुक्त यातायात प्रथम	—	—	—	9454401085
23	अपर पुलिस उपायुक्त यातायात द्वितीय	—	—	—	9454403391
24	अपर राज्य रेडियो अधिकारी	—	—	—	9454404754
25	सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज	—	0522-2625143	—	9454401495
26	सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद	—	—	—	9454400629
27	सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट	—	—	—	9454405234

28	सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर	—	0522-2470795	—	9454401490
29	सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग	—	0522-2221702	—	9454401497
30	सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला	—	0522-2241222	—	9454401496
31	सहायक पुलिस आयुक्त चौक	—	0522-2255200	—	9454401491
32	सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज	—	0522-2324930	—	9454401494
33	सहायक पुलिस आयुक्त महानगर	—	0522-2389207	—	9454401498
34	सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर	—	—	—	9454401186
35	सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर	—	0522-2349793	—	9454401499
36	सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज	—	0522-2821218	—	9454401493
37	सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड	—	—	—	9454405381
38	सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी	—	—	—	9454401492
39	सहायक पुलिस आयुक्त बी०के०टी० / लाइन्स				9454401500
40	सहायक पुलिस आयुक्त गोसाईगंज				9454405397
41	सहायक पुलिस आयुक्त लेखा (आंकिक)	—	—	8726100100	
42	सहायक पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था	—	—	8299160237	—
43	सहायक पुलिस आयुक्त अपराध-प्रथम	—	—		9454405406
44	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात प्रथम	—	—		7355513763
45	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात द्वितीय	—	—		9415034058
46	सहायक पुलिस आयुक्त यातायात तृतीय / कार्यालय	—	—	—	9454402000
47	सहायक पुलिस आयुक्त महिला अपराध प्रथम	—	—		9454405397
48	पुलिस उपाधीक्षक अभिसूचना (प्रज्ञान)	—	0522-2286635	—	9454401504
49	प्रतिसार निरीक्षक लाइन्स प्रथम	—	0522-2780655	—	9454402379
50	प्रतिसार निरीक्षक लाइन्स द्वितीय	—	0522-2781408	—	9454403881
51	प्र०नि० हजरतगंज	—	0522-2622555	—	9454403853
52	प्र०नि० महिला थाना	—	0522-2625251	—	9454403860
53	प्र०नि० हुसैनगंज	—	0522-2615352	—	9454403854
54	प्र०नि० गौतमपल्ली	—	0522-2235078	—	9454402406

55	प्र०नि० कैण्ट	—	0522-2483724	—	9454403845
56	प्र०नि० पीजीआई	—	0522-2668882	—	9454403876
57	प्र०नि० आशियाना	—	0522-2425896	—	9454403841
58	प्र०नि० आलमबाग	—	0522-2451205	—	9454403838
59	प्र०नि० मानकनगर	—	0522-2454098	—	9454403863
60	प्र०नि० कृष्णानगर	—	0522-2473918	—	9454403858
61	प्र०नि० सरोजनीनगर	—	0522-2436600	—	9454403869
62	प्र०नि० बन्धरा	—	0522-2861661	—	9454403843
63	प्र०नि० कैसरबाग	—	0522-2622767	—	9454403857
64	प्र०नि० अमीनाबाद	—	0522-2624635	—	9454403840
65	प्र०नि० नाका	—	0522-2684286	—	9454403867
66	प्र०नि० चौक	—	0522-2255742	—	9454403847
67	प्र०नि० वजीरगंज	—	0522-2623836	—	9454403874
68	प्र०नि० ठाकुरगंज	—	0522-2409991	—	9454403872
69	प्र०नि० बाजारखाला	—	0522-2269004	—	9454403844
70	प्र०नि० सआदतगंज	—	0522-2649556	—	9454403870
71	प्र०नि० तालकटोरा	—	0522-2418718	—	9454403871
72	प्र०नि० अलीगंज	—	0522-2324930	—	9454403839
73	प्र०नि० मड़ियाव	—	0522-2362600	—	9454403864
74	प्र०नि० जानकीपुरम्	—	0522-2730669	—	9454403878
75	प्र०नि० महानगर	—	0522-2329867	—	9454403859
76	प्र०नि० हसनगंज	—	0522-2740743	—	9454403852
77	प्र०नि० विकासनगर	—	0522-2739110	—	9454403873
78	प्र०नि० गाजीपुर	—	0522-2344900	—	9454403848
79	प्र०नि० गुडम्बा	—	0522-2361655	—	9454403851
80	प्र०नि० इन्दिरानगर	—	0522-2719053	—	9454403883
81	प्र०नि० गोमतीनगर	—	0522-2393400	—	9454403849
82	प्र०नि० गोमतीनगर विस्तार	—	—	—	9454457927
83	प्र०नि० चिनहट	—	0522-2815834	—	9454403846
84	प्र०नि० विभूतिखण्ड	—	0522-2728891	—	9454403880
85	प्र०नि० मोहनलालगंज	—	0522-2821223	—	9454403865
86	प्र०नि० गोंसाईगंज	—	0522-2836453	—	9454403850
87	प्र०नि० नगराम	—	0522-2827753	—	9454403866
88	प्र०नि० सु०ान्त गोल्फ सिटी	—	—	—	9454458330
89	प्र०नि० काकोरी	—	0522-2898230	—	9454403856
90	प्र०नि० पारा	—	—	—	9454403875
91	प्र०नि० मलिहाबाद	—	—	—	9454403862
92	प्र०नि०रहीमाबाद	—	—	—	9415062661
93	प्र०नि० माल	—	—	—	9454403861
94	प्र०नि० दुबग्गा	—	—	—	9454405156
95	प्र०नि० मदेयगंज	—	—	—	9454405154
96	प्र०नि० बी०के०टी०	—	—	—	9454403842
97	प्र०नि० इटौंजा	—	—	—	9454403855
98	प्र०नि० सैरपुर	—	—	—	9454403879

99	प्र०नि० महिला थाना द्वितीय			9839637260	7839877216
100	प्र०नि० बी०बी०डी०				9454405398
101	प्र०नि० निगोहा				9454403868
102	प्र०नि० बिजनौर				9454405395

10 egkuxjh; {ks= y[kuÅ i fyl vf/kdkfj; ka , oa de/pkfj; ka dks i klr ekfl d oru@i kfj rks"kd%&

10-1 vf/kdkfj; ka , oa de/pkfj; ka dks i klr ekfl d oru@i kfj rks"kd%&

Ø0l 0	in	orueku@orucS M	efV'd yoy	i kf"Vd vkgkj HkRrk	onhZ /kqykbZ HkRrk
1	पुलिस आयुक्त	144200-218200	14	—	—
2	संयुक्त पुलिस आयुक्त	131100-216600	13	—	—
3	पुलिस उपायुक्त	78800-209200	12	—	—
4	अपर पुलिस उपायुक्त	78800-209200	12	800	300
5	सहायक पुलिस आयुक्त	56100-177500	10	800	300
6	निरीक्षक	44500-142400	7	1200	188
7	प्रतिसार निरीक्षक	44500-142400	7	1200	188
8	उपनिरीक्षक	35400-112400	6	1200	188
9	हे०का०प्र०	29200-84500	5	1500	188
10	हे०का०	25500-74200	4	1500	188
11	आरक्षी	21700-63200	3	1500	188

10.2 j fM; ka 'kk[kk ds vf/kdkfj; ka , oa de/pkfj; ka dks i klr ekfl d oru@i kfj rks"kd%&

Ø0l 0	in	orueku@orucS M	efV'd yoy	i kf"Vd vkgkj HkRrk	onhZ /kqykbZ HkRrk
1	अपर राज्य रेडियो अधिकारी	78800-2,09200	12	800	300
2	सहायक रेडियो अधिकारी	56100-177500	10	800	300
3	रेडियो निरीक्षक	47600-151100	08	1200	188
4	रेडियो उपनिरीक्षक	44900-142400	07	1200	188
5	प्रधान परिचालक	35400-112400	06	1200	188
6	सहायक परिचालक	25500-81100	04	1500	188
7	कर्म०शाखा सहायक	21700-69100	03	1500	188
8	संदेश वाहक	18000-56900	01	—	—

10-3 Qk; j l foZ ds vf/kdkfj; ka , oa de;pkfj; ka dks i klr ekfl d oru@i kfj rks"kd%&

Ø0l 0	in	orueku@oruc\$ M	efV'd yoy	i kf"Vd vkgkj HkRrk	onhZ /ky/kbZ HkRrk	onhZ HkRrk
1	मुख्य अग्नि शमन अधिकारी	56100-177500	10	800	300	-
2	अग्नि शमन अधिकारी	44500-142400	7	720	188	-
3	अग्नि शमन अधिकारी द्वितीय	35400-112400	6	720	188	-
4	फायर सर्विस चालक	25500-74200	4	480	188	-
5	लीडिंग फायर मैन	25500-74200	4	480	188	-
6	फायर मैन	21700-63200	3	480	188	-

10-4 fyfid oxhZ ds vf/kdkfj; ka , oa de;pkfj; ka dks i klr ekfl d oru@i kfj rks"kd%&

Ø0l 0	in	orueku@oruc\$ M	efV'd yoy	i kf"Vd vkgkj HkRrk	onhZ HkRrk	onhZ /ky/kbZ HkRrk
1	स्टैनो	35400-112400	6	1200	-	188
2	एस0आई0एम0	35400-112400	6	1200	-	188
3	ए0एस0आई0एम0	29200-84500	5	1500	-	188

10-5 ifjogu 'kk[kk ds vf/kdkfj; ka , oa de;pkfj; ka dks i klr ekfl d oru@i kfj rks"kd%&

Ø0l 0	in	orueku@oruc\$ M	efV'd yoy	i kf"Vd vkgkj HkRrk	onhZ HkRrk	onhZ /ky/kbZ HkRrk
1	निरीक्षक एम0टी0	44500-142400	7	1200	-	188
2	उपनिरीक्षक एम0टी0	35400-112400	6	720	-	188
3	मुख्य आरक्षी	25500-74200	4	480	-	188
4	आरक्षी चालक	21700-63200	3	480	-	188

10.6 LFkkuh; vfHkl ipuk bdkbZds vf/kdkfj; ka , oa de;pkfj; ka dks i klr ekfl d oru@i kfj rks"kd%&

00 10	in	orueku@orucf M	efV'd yoy	i kf"Vd vkgkj HkRrk	fo' k'sk HkRrk
1	पुलिस उपाधीक्षक प्रज्ञान	56100-177500	10	800	2500
2	निरीक्षक	44500-142400	7	1200	-
3	उपनिरीक्षक	35400-112400	6	1200	-
4	मुख्य आरक्षी	25500-74200	4	1500	-
5	आरक्षी	21700-63200	3	1500	-

11.0 ctV:-

बजट 22&23 dh fLFkfr

	ekud en	iklr vunku	0; ; vunku	'k'sk vunku
2055 पुलिस आयोजनेतर 109 जिला पुलिस 03 जिला पुलिस मुख्य				
1	01 वेतन (पुनग्रहित Rs. 36,72,68,070)	5303850289	5187815280	116035009
2	02 मजदूरी	1870397	1853319	17078
3	03 महगाईभत्ता	1890390769	1852652911	37737858
4	04 यात्राव्यय	218355134	244519430	26164296
5	05 स्था0 यात्राव्यय	18603074	7716524	10886550
6	06 अन्यभत्ता(पुनग्रहित Rs. 731930)	326185100	354077854	27892754
7	08 कार्यालयव्यय	11073085	11052680	20405
8	10 जलकर/जलप्रभार	12852336	18482794	-5630458
9	11 लेखनसामग्रीऔरफार्माकीछपाई	13761214	13761211	3
10	12 कार्यालयफर्नीचरएवउपकरण	4573312	4567064	6248
11	13 टेलीफोनपरव्यय	500000	500000	0
12	16 व्यवसायिकतथाविशेषसेवाओंकेलियेभुगतान	4373450	4373450	0
13	17 किरायाउपशुल्कएवकरस्वामित्व	22897373	19241380	3655993
14	23 गुप्तसेवाव्यय	161000	161000	0
15	29 अनुरक्षणमुख्य	154574768	153698528	876240
16	42 अन्यव्यय	148041779	147505344	536435
17	42 अन्यव्यय(भारित)	555199	555199	0
18	44 प्रशिक्षणहेतुयात्राएवंअन्यप्रासंगिकव्यय	459375	459375	0
19	45 अवकाशयात्राव्यय	15526000	248228	15277772
20	46 कम्प्यूटरहार्डवेयर/साफ्टवेयरकाक्रय	822500	822053	447
21	47 कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धीस्टेशनरीकाक्रय	2710262	2708122	2140
22	49 चिकित्साव्यय	78495909	78479078	16831
23	51 वर्दीव्यय(लेखनसामग्रीऔरफार्माकीछपाईकेबिलोंकाभुगतानगुपिंगव्यवस्थाकेअन्तर्गत)	7000000	7000000	0
24	55 मकानकिरायाभत्ता	350657755	352412812	-1755057
25	58 आउटसोर्सिंगसेवाओहेतुभुगतान	15254814	15242256	12558
2055 पुलिस 800अन्यव्यय 15 30प्र0सडकसुरक्षाकोषसेव्यय				
1	42 अन्यव्यय(संलग्नक-02 मेंउल्लेखितचिन्हितकार्यहेतु)	4295207	4284257	10950

2055 पुलिसआयोजनेतर 109 जिलापुलिस 07 जिलापुलिसथाना				
1	02 मजदूरी	2522000	2520877	1123
2	08 कार्यालयव्यय	5854540	5839823	14717
3	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मोंकीछपाई	2032629	2053467	-20838
4	12 कार्यालयफर्नीचरएवंउपकरण	3773437	3764444	8993
5	13 टेलीफोनपरव्यय(पुलिसथानाएण्टीकरप्शनकेसंचालनहेतु)	25000	17169	7831
6	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	18898000	18897758	242
7	23 गुप्तसेवाव्यय	469400	469400	0
8	29 अनुरक्षण (थानोंकीमरम्मत/अनुरक्षणहेतु)	4739600	4738418	1182
9	42 अन्यव्यय	4070733	4064409	6324
10	46 कम्प्यूटरहार्डवेयर/साफ्टवेयरकाक्रय	17207022	17204975	2047
11	47 कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धीस्टेशनरीकाक्रय	11930000	11912734	17266
12	58 आउटसोर्सिंगसेवाओहेतुभुगतान	292000	291370	630
2055 पुलिस आयोजनेतर 001 निदेशन और प्रशासन 03 राज्य मुख्यालय				
1	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	1110642	1110355	287
2055 पुलिस आयोजनेतर 003 शिक्षा और प्रशिक्षण मुख्य 04 शिक्षा और प्रशिक्षण				
1	02 मजदूरी	3825000	3825000	0
2	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मोंकीछपाई	0	0	0
3	12 कार्यालयफर्नीचरएवंउपकरण	0	0	0
4	29 अनुरक्षण	0	0	0
5	42 अन्यव्यय	1280000	1271197	8803
6	44 प्रशिक्षणहेतुयानाएवंअन्यप्रासंगिकव्यय	0	0	0
2055 पुलिस 109 जिला पुलिस 18 पुलिस रिकार्ड का डिजिटाइजेशन				
1	42 अन्यव्यय	1960500	1950441	10059
2055 पुलिस 109 जिला पुलिस 04 राज्य रेडियो अनुभाग-मुख्य				
1	02 मजदूरी	10000	10000	0
2	08 कार्यालयव्यय	30600	30539	61
3	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मोंकीछपाई	10600	10384	216
4	12 कार्यालयफर्नीचरएवंउपकरण	38300	38137	163
5	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	28000	27859	141
6	29 अनुरक्षण	149556	149028	528
7	51 वर्दीव्यय(पुलिसमुख्यालय, लखनऊकेबिलोंकेभुगतानहेतु)	2500000	2499210	790
2055 पुलिस आयोजनेतर 109 जिला पुलिस 05 मोटर परिवहन अनुभाग				
1	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	338950250	338948598	1652
2	51 वर्दीव्यय(पुलिसमुख्यालयकेलम्बितबिलोंकेभुगतानहेतु)	7000000	6979700	20300
2055 पुलिस 109जिला पुलिस 09 क्राइमब्रांच				
1	02 मजदूरी	9000	8800	200
2	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मोंकीछपाई	9000	8968	32
3	12 कार्यालयफर्नीचरएवंउपकरण	300000	299370	630
4	16 व्यवसायिकतथाविशेषसेवाओंकेलियेभुगतान	4000	0	4000
5	29 अनुरक्षण	2000	1894	106

6	42 अन्यव्यय	4000	3894	106
7	46 कम्प्यूटरहार्डवेयर/साफ्टवेयरकाक्रय	4000	4000	0
8	47 कम्प्यूटरअनुरक्षण/तत्सम्बन्धीस्टेशनरीकाक्रय	2000	1982	18
9	58 आउटसोर्सिंगसेवाओहेतुभुगतान	2000	2000	0
2055 पुलिस 109 जिला पुलिस 13 डायल 100 परियोजना				
1	08 कार्यालयव्यय	1816166	1814955	1211
2	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मोंकीछपाई	8000	7982	18
3	12 कार्यालयफर्नीचरएवंउपकरण	63465	62953	512
4	15 मोटरगाडियोंकाअनुरक्षणएवंपेट्रोलआदिकेखरीद	13847035	13846215	820
5	16 व्यवसायिकतथाविशेषसेवाओंकेलियेभुगतान	19028880	19028880	0
6	19 विज्ञापनबिक्रीऔरविख्यापनव्यय	1069952	1067728	2224
7	44 प्रशिक्षणहेतुयात्राएवंअन्यप्रासंगिकव्यय	2640228	2640223	5
2055 पुलिस 109 जिला पुलिस 17 पुलिस विभाग में कनेक्टिविटी				
1	42 अन्यव्यय-A.N.T.F. कोजनपद/इकाईमें VPN Over Connectivity हेतु	1796920	1796911	9
2055 पुलिस 110 ग्राम पुलिस 03 ग्राम पुलिस अधिष्ठान				
1	08 कार्यालयव्यय- ग्रामचौकीदारकेसाईकिल/टार्चकेक्रयार्थ/परिचयपत्रबनवायेजानेहेतु	412000	411998	2
2	42 अन्यव्यय-ग्रामप्रहरियोंकेप्रोत्साहनएवंउत्साहवर्धनहेतु	200000	199934	66
2055 पुलिस 113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण 03 पुलिस कार्मिकों की सुखसुविधा				
1	42 अन्यव्यय(सुखसुविधा)	717000	715845	1155
2055 पुलिस आयोजनेतर 113 04 01 चिकित्साल व्यय				
1	08 कार्यालयव्यय	20000	19980	20
2	11 लेखनसामग्रीऔरफार्मोंकीछपाई	10000	9995	5
3	12 कार्यालयफर्नीचरएवंउपकरण	8000	7999	1
4	39 औषधितथारसायन	48000	47941	59
5	40 औषधालयसम्बन्धीआवश्यकसज्जा	14000	13993	7
6	42 अन्यव्यय	12500	12480	20
7	43 सामग्रीएवंसम्पूर्ति	168335	168330	5
8	58 आउटसोर्सिंगसेवाओहेतुभुगतान	27170	27082	88
2055 पुलिस 113पुलिस कर्मियों का कल्याण 06 पुलिस बेनीबोलेण्टफण्ड				
1	20 सहायताअनुदान-सामान्य(गैरवेतन)	272000	271856	144
2055 पुलिस आयोजनेतर 113 पुलिस कार्मिकों का कल्याण 09 पुलिस कल्याण के लिए विशिष्ट अनुदान				
1	42 अन्यव्यय(कल्याणनिधि)	1019600	1018856	744
2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण आयोजनेतर 60 अन्य सामाजिक तथा कल्याण कार्यक्रम 800 अन्यव्यय 04 लावारिश शर्तों के अन्तिम संस्कार हेतु				
1	42 अन्यव्यय	733320	733320	0
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 03 गृह (पुलिस)				
1	25 लघुनिर्माण(पुलिसमुख्यालयद्वारानिर्धारितचिन्हितकार्यहेतु)	51913776	51904632	9144
4055 पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय 207 राज्य पुलिस 21 उत्तर प्रदेश सड़क सुरक्षाकोष से व्यय				

1	26 मशीनसाजसज्जासुरक्षाहेतु	4039250	3902617	136633
---	----------------------------	---------	---------	--------

12. । fcl Mh dk; Øe ds fuLi knu dk <æ:-

वर्तमान में विभाग में कोई सब्सिडी कार्यक्रम प्रचलित नहीं है।

13. । æBu }kjk i nRr NM] vf/kdkj i = rFkk vf/kdfr; k ds i klrdrk/vk dk fooj .T:-शून्य

14. byfDVud i k: i ea l ipukvk dh mi yC/krk:-

उक्त सूचना को इलेक्ट्रानिक रूप में निबद्ध होने के बाद उसकी प्राप्ति के संबंध में अवगत कराया जायेगा।

15. vf/kfu; e ds vUrxr ukxfj dks dks i nRr l fo/kk, :-

जनपद मुख्यालय स्तर पर एक जन सूचना प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जिसके द्वारा निम्नानुसार कार्य सम्पादित किया जाता है।

Ø- । -	dk; l	dk; bkgf fdl ds Lrj । s	। e; kof/k
1	सूचना प्राप्त करने के इच्छुक नागरिकों से आवेदन पत्र प्राप्त किया जाते हैं।	कमि"नरेट लखनऊ जोन स्तर पर पुलिस उपायुक्त/अपर पुलिस उपायुक्त/सहायक पुलिस आयुक्त(यदि सहायक पुलिस आयुक्त मुख्यालय पर नहीं बैठते हैं तो सम्बन्धित थाना के प्रभारी निरीक्षक) का कार्यालय	प्रातः 10 बजे से शाम 17:00 बजे तक (राजकीय अवकाशो का छोड़कर)
2	सूचना निरीक्षण करने का स्थान	उपरोक्त	उपरोक्त
3	सूचना प्रदान किये जाने का स्थान	उपरोक्त	विलम्बतम 30 दिन तथा जीवन रक्षा एवं व्यक्ति की स्वतन्त्रता के संबंध में 48 घण्टे।
4	सूचना निरीक्षण करने हेतु जमा की जाने वाली धनराशि (10 रु0) प्रथम घण्टा, निशुल्क, प्रथम घण्टा के पश्चात 5 रु0 प्रति 15 मिनट)	पुलिस कार्यालय की आंकिक शाखा में नगद, लोक प्राधिकारी को ड्राफ्ट या बैंकर्स चेक	उपरोक्त
5	सूचना प्राप्त करने हेतु जमा कराई जाने वाली राशि का विवरण (10 रु0 प्रति आवेदन पत्र और गरीबी की रेखा के नीचे के व्यक्तियों को निःशुल्क)	उपरोक्त	उपरोक्त

समय से सूचना उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में 250 रु0 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना (25000 रु0 अधिक न हो) भी देय होगा।

16- युक्त पुलिस आयुक्त/कक्ष; कक्षा के अंतर्गत

वर्तमान समय में जनसूचना अधिकारी/नोडल अधिकारी अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय हैं, तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी पुलिस आयुक्त लखनऊ के आदेश दिनांक 23.01.2020 के माध्यम से पुलिस उपायुक्त मुख्यालय लखनऊ को नामित किया गया है।

कमिश्नरेट लखनऊ के अन्तर्गत आने वाले सहायक जनसूचना अधिकारी

क्र०सं०	जोन	नामित सहायक जनसूचना अधिकारी
1	पूर्वी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त कैण्ट
		सहायक पुलिस आयुक्त गोमतीनगर
		सहायक पुलिस आयुक्त विभूतिखण्ड
2	पश्चिमी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त चौक
		सहायक पुलिस आयुक्त बाजारखाला
		सहायक पुलिस आयुक्त मलिहाबाद
		सहायक पुलिस आयुक्त काकोरी
3.	उत्तरी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त अलीगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त गाजीपुर
		सहायक पुलिस आयुक्त बीकेटी
4.	दक्षिणी जोन	सहायक पुलिस आयुक्त मोहनलालगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त गोंसाईगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त कृष्णानगर
5.	मध्य जोन	सहायक पुलिस आयुक्त हजरतगंज
		सहायक पुलिस आयुक्त कैसरबाग
		सहायक पुलिस आयुक्त महानगर

17. अन्य कोई विहित सूचना— शून्य

पत्र सं०-व-475/05(68 बी)/2020
दिनांक-मई .2023

अपर पुलिस उपायुक्त मुख्यालय/
जनसूचना अधिकारी
कमिश्नरेट लखनऊ।